

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1)
के खण्ड (बी)

छत्तीसगढ़ राज्य में आबकारी विभाग के क्रियाकलाप पर विवरण

(I) संरचना, कार्य एवं कर्तव्य (Organisation, Functions and Duties) :-

छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभाग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस विभाग के द्वारा मुख्यतः मंदिरा के निर्माण, परिवहन विक्रय आदि तथा इस पद में अवैध कार्यों पर नियंत्रण रखते हुए राजस्व की प्राप्ति की जाती है।

(II) संरचना (organisation) :- विभाग की संरचना निम्नानुसार है :-

(अ) विभागाध्यक्ष स्तर

क्र.	पदनाम	वेतन लेबल	स्वीकृत पदों की संख्या	दिनांक 30.11.2020 को कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
(अ)	प्रथम श्रेणी				
1	आबकारी आयुक्त	लेबल-17	1	1	0
2	अपर आयुक्त आबकारी	लेबल-15	2	2	0
3	उपायुक्त आबकारी	लेबल-14	2	2	0
4	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (संविदा नियुक्ति का पद)	लेबल-14	1	0	1
5	सहायक आयुक्त आबकारी	लेबल-13	3	0	3
6	संयुक्त संचालक वित्त (प्रतिनियुक्ति से)	लेबल-14	1	1	0
			10	6	4
(ब)	द्वितीय श्रेणी				
1	सांचियकी अधिकारी (प्रतिनियुक्ति से)	लेबल-12	1	0	1
2	जिला आबकारी अधिकारी	लेबल-12	3	2	1
3	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	लेबल-12	1	0	1
4	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	लेबल-09	2	2	0
			7	4	3
(स)	तृतीय श्रेणी				
1	स्टेनोग्राफर ग्रेड -1	लेबल-10	1	0	1
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड -2	लेबल-09	1	1	0
3	स्टेनोग्राफर ग्रेड -3	लेबल-07	2	2	0
4	सहायक अंकेक्षण अधिकारी /लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति से)	लेबल-08	2	2	0
5	केमिस्ट	लेबल-09	1	0	1
6	आबकारी उप निरीक्षक	लेबल-07	8	2	6
7	सूचना (प्रोग्रामर) सहायक	लेबल-07	1	0	1
8	मुख्य आरक्षक	लेबल-05	2	2	0
9	आरक्षक	लेबल-04	8	6	2
			26	15	11

(द)	लिपिक वर्गीय एवं अन्य				
1	अधीक्षक	लेबल-09	1	1	0
2	सहायक अधीक्षक	लेबल-08	2	1	1
3	मुख्य लिपिक	लेबल-07	3	2	1
4	लेखापाल	लेबल-06	2	2	0
5	सहायक ग्रेड -2	लेबल-06	5	5	0
6	सहायक ग्रेड -3	लेबल-04	10	5	5
7	डाटा एन्ड्री ऑपरेटर	लेबल-06	0	0	0
8	स्टेनो टाइपिस्ट	लेबल-04	6	4	2
9	वाहन चालक	लेबल-04	16	16	0
			45	36	9
(इ)	चतुर्थ श्रेणी				
1	जमादार	लेबल-02	1	0	1
2	दफ्तरी	लेबल-02	1	0	1
3	भूत्य	लेबल-01	16	11	5
4	चौकीदार	लेबल-01	1	0	1
5	फर्माश	लेबल-01	2	1	1
			21	12	9
	योग :-		109	73	36

(ब) संभाग स्तर (मैदानी कार्यालय)

क्र.	पदनाम	वेतन लेबल	स्वीकृत पदों की संख्या	दिनांक 31.12.2020 को कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
(अ)	प्रथम श्रेणी				
1	उपायुक्त आबकारी	लेबल-14	5	3	2
2	सहायक आयुक्त आबकारी	लेबल-13	3	1	2
			8	4	4
(ब)	द्वितीय श्रेणी				
1	जिला आबकारी अधिकारी	लेबल-13	5	3	2
2	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	लेबल-09	7	5	2
			12	8	4
(स)	तृतीय श्रेणी				
1	आबकारी उप निरीक्षक	लेबल-07	6	2	4
2	मुख्य आरक्षक	लेबल-05	7	8	0
3	आरक्षक	लेबल-04	30	11	19
			43	21	23
(द)	लिपिक वर्गीय एवं अन्य				
1	लेखापाल	लेबल-06	3	2	1
2	सहायक ग्रेड -2	लेबल-06	3	3	0
3	सहायक ग्रेड -3	लेबल-04	10	3	7
4	स्टेनो टाइपिस्ट	लेबल-04	3	1	2
5	वाहन चालक	लेबल-04	8	7	1
			27	16	11
(इ)	चतुर्थ श्रेणी				
1	भूत्य	लेबल-01	12	8	4
2	चौकीदार	लेबल-01	1	0	1
			13	8	5
	योग :-		103	57	47

(स) जिला स्तर (मैदानी कार्यालय)

क्र.	पदनाम	वेतन लेबल	स्वीकृत पदों की संख्या	दिनांक 30.11.2020 को कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
(अ)	प्रथम श्रेणी				
1	उपायुक्त आबकारी	लेबल-14	1	2	0
2	सहायक आयुक्त आबकारी	लेबल-13	6	10	0
			7	12	0
(ब)	द्वितीय श्रेणी				
1	जिला आबकारी अधिकारी	लेबल-13	27	24	3
2	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	लेबल-09	59	58	1
			86	82	4
(स)	तृतीय श्रेणी				
1	आबकारी उप निरीक्षक	लेबल-07	171	104	67
2	मुख्य आरक्षक	लेबल-05	85	80	5
3	आरक्षक	लेबल-04	456	268	188
			712	452	260
(द)	लिपिक वर्गीय एवं अन्य				
1	मुख्य लिपिक	लेबल-07	21	7	14
2	लेखापाल	लेबल-06	28	17	11
3	सहायक ग्रेड -2	लेबल-06	28	28	0
4	सहायक ग्रेड -3	लेबल-04	81	46	35
5	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेबल-06	9	2	7
6	स्टेनो टाइपिस्ट	लेबल-04	1	1	0
7	वाहन चालक	लेबल-04	49	41	8
			217	142	75
(इ)	चतुर्थ श्रेणी				
1	दफ्तरी	लेबल-02	6	2	4
2	भूत्य	लेबल-01	176	149	27
3	चौकीदार	लेबल-01	25	15	10
			207	166	41
	योग :-		1229	854	380

(III) आबकारी विभाग का कार्य एवं कर्तव्य (functions & duties) :- विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :-

- (1) (i) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित नीति के अनुसार देशी/विदेशी मंदिरा के फुटकर विक्रय हेतु व्यवस्थापन प्रलाणी के अंतर्गत राजस्व अर्जित करना।
 (ii) भांग के फुटकर विक्रय हेतु लायसेंस जारी कर राजस्व अर्जित करना।
- (2) देशी/विदेशी मंदिरा, निर्माण एवं बॉटलिंग हेतु लायसेंस देकर लायसेंस फीस एवं बॉटलिंग फीस अर्जित करना।

- (3) देशी/विदेशी मंदिर के आयात/निर्यात की स्वीकृति दी जाकर, आयात शुल्क, निर्यात शुल्क तथा काउन्टर वेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करना।
- (4) लायसेंसियों/अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा की गई अनियमितताओं पर शास्ति/संधानराशि आरोपित कर राजस्व अर्जित करना।
- (5) मेडीशनल एण्ड टायलेट प्रिप्रेशन नियम के अन्तर्गत लायसेंस जारी कर लायसेंस फीस के रूप में राजस्व अर्जित करना।
- (6) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अवैध मंदिर निर्माण, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय, अवैध धारण के प्रकरण दर्ज कर न्यायालयीन प्रकरणों को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना।
- (7) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन.डी.पी.एस.) के अन्तर्गत मादक पदार्थों के अवैध खेती, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय एवं अवैध धारण की सूचना प्राप्त होने पर तलाशी ली जाकर या जाँच कर पाई गई अनियमितताओं हेतु प्रकरण दर्ज कर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (8) विभाग में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले अपराधों पर उचित नियंत्रण रखकर आबकारी राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि करना है।

(IV) अधिकारी एवं कर्मचारी के अधिकार एवं कर्तव्य (powers and duties of officers and employees) :-

आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य पदवार निम्नानुसार हैं :—

(अ) विभागाध्यक्ष स्तर

(a) आबकारी आयुक्त :— आबकारी आयुक्त विभाग के प्रमुख अर्थात् विभागाध्यक्ष हैं। विभागाध्यक्ष होने से एक विभागाध्यक्ष के जो अधिकार हैं, वे समस्त अधिकार उनको प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग के विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों में प्राप्त मुख्य अधिकार निम्नानुसार हैं :—

- (1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त को लायसेंस निरस्त करने या निलंबित करने का अधिकार है।
- (2) किसी—भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी—भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
- (3) विभागीय प्रकरणों में संधानराशि/शास्ति आरोपित करने का अधिकार है।
- (4) कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 47—ए एवं धारा 62 (2) (सी) के अधीन किए गए अपील प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार है।
- (5) शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर सी.एस.1 एवं सी.एस.1—क व 1—ख लायसेंस जारी करने का अधिकार है।
- (6) देशी मंदिर की गुणवत्ता निर्धारित करने का अधिकार।
- (7) किसी मद्य भांडागार को बंद करने का आदेश देने का अधिकार।
- (8) राज्य के बाहर से स्प्रिट आयात करने एवं राज्य से स्प्रिट निर्यात करने की अनुमति देने का अधिकार।

- (9) कलेक्टर द्वारा अंतिम किए गए नीलाम/टेण्डर को पुनर्नीलाम करने हेतु आदेश देने का अधिकार।
- (10) देशी स्पिरिट नियमों के उल्लंघन पर शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
- (11) आसवनी का भवन निर्माण, प्लान्ट एवं मशीनरी स्थापित करने हेतु मानचित्र अनुमोदन करने का अधिकार।
- (12) शासन की स्वीकृति प्राप्त होने पर आसवनी (डिस्टिलरी) स्थापित करने हेतु लायसेंस देने एवं नवीनीकरण करने का अधिकार।
- (13) आसवनी में आसवन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले क्षारक (बेस) का अनुमोदन करने का अधिकार।
- (14) आसवनी में न्यूनतम स्कंध निर्धारित करने का अधिकार।
- (15) आसवनी प्रबंधन की स्वीकृति देने का अधिकार।
- (16) आसवनी के प्लान्ट मशीनरी के परिवर्तन या परिवर्धन करने की स्वीकृति देने का अधिकार।
- (17) आसवनी नियमों में आसवनी नियमों का उल्लंघन होने पर शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
- (18) विदेशी मदिरा की बॉटलिंग इकाई स्थापित करने हेतु भवन निर्माण एवं प्लान्ट व मशीनरी स्थापित करने हेतु मानचित्र अनुमोदित करने का अधिकार।
- (19) राज्य शासन की स्वीकृति प्राप्त होने पर विदेशी मदिरा की बॉटलिंग इकाई स्थापित करने हेतु एफ.एल.9 व एफ.एल.9क लायसेंस जारी करने एवं नवीनीकरण करने का अधिकार।
- (20) विदेशी मदिरा की बॉटलिंग इकाई के भवन, प्लान्ट व मशीनरी कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन करने की स्वीकृति देने का अधिकार।
- (21) विदेशी मदिरा बनाने हेतु स्प्रिट की गुणवत्ता निर्धारित करने का अधिकार।
- (22) विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु एफ.एल.10 लायसेंस स्वीकृत करने एवं नवीनीकरण करने का अधिकार।
- (23) विदेशी मदिरा प्रदाय एवं भण्डारण हेतु एफ.एल.10क एवं एफ.एल.10ख लायसेंस स्वीकृत करने एवं नवीनीकरण करने का अधिकार।
- (24) एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह-क्लब) एवं एफ.एल.4क (व्यवसायिक अनुज्ञाप्ति) स्वीकृत करने एवं नवीनीकरण करने का अधिकार।
- (25) विदेशी मदिरा के नामपत्र/नामपत्रों (लेबल/लेबलों) का अनुमोदन एवं पंजीयन करने का अधिकार।
- (26) विदेशी मदिरा आयात, निर्यात करने की स्वीकृति देने का अधिकार।
- (27) विदेशी मदिरा के नियमों के उल्लंघन होने पर शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
- (28) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
- (29) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
- (30) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।

- (31) आबकारी मद में जमा की गई राशि को रिफण्ड करने की स्वीकृति देने का अधिकार।
- (32) स्टोर में हुई हानि, जो वसूली योग्य नहीं है, के अपलेखन के आदेश देने का अधिकार।
- (33) आबकारी राजस्व, जो वसूली योग्य नहीं है, रुपये 50,000/- तक प्रति प्रकरण में अपलेखन हेतु आदेश देने का अधिकार।

राज्य स्तर पर समस्त आबकारी प्रशासन के प्रमुख के दायित्वों का सम्पूर्ण निर्वहन का उत्तरदायित्व आबकारी आयुक्त का है। राजस्व की सुरक्षा/अर्जन/व्यवस्था/आबकारी नीति का निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित् करना उनका उत्तरदायित्व है।

(b) अपर आयुक्त आबकारी :— अपर आयुक्त आबकारी की पदस्थापना आबकारी आयुक्त कार्यालय में ही है। वरिष्ठ अपर आयुक्त आबकारी को कार्यालय प्रमुख घोषित किया गया है। अतः कार्यालय प्रमुख को जो प्रशासनिक अधिकार होते हैं, वे सभी अधिकार उन्हें प्राप्त हैं।

- (1) किसी—भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी—भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
- (2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु तलाशी/निरीक्षण के अधिकार हैं।
- (3) रेकिटफाईड स्प्रिट या ई.एन.ए. आयात/निर्यात के लिए आबकारी आयुक्त की स्वीकृति की प्रत्याशा में अपरिहार्य परिस्थितियों पर स्वीकृति देने का अधिकार है।
- (4) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
- (5) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
- (6) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।
- (7) स्टोर में हुई हानि, जो वसूली योग्य नहीं है, प्रति प्रकरण रुपये 10,000/- तक अपलेखन की स्वीकृति देने के अधिकार हैं।

मुख्यालय में पदस्थ अपर आयुक्त आबकारी कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्यरत रहते हुए आबकारी आयुक्त द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन एवं क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं।

(c) उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय :—

- (1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम करने हेतु तलाशी, जप्ती करने के अधिकार।
- (2) किसी—भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी—भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
- (3) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
- (4) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
- (5) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।
- (6) स्टोर में हुई हानि, जो वसूली योग्य नहीं है, प्रति प्रकरण रुपये 5,000/- तक अपलेखन की स्वीकृति देने के अधिकार हैं।

- (7) आबकारी राजस्व, जो गलती से या अधिक जमा हो गई हो, को रिफण्ड करने हेतु आदेश देने का अधिकार।

आबकारी आयुक्त कार्यालय में पदस्थ उपायुक्त आबकारी आबकारी आयुक्त एवं अपर आयुक्त आबकारी द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

(d) उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता :-

- (1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम करने हेतु तलाशी, जप्ती करने के अधिकार।
- (2) किसी—भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी—भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
- (3) राज्य स्तरीय उड़नदस्ता में पदस्थ अधीनस्थ स्टाफ द्वारा देशी/विदेशी मदिरा, भांग, के फुटकर लायसेंसियों के विरुद्ध दर्ज किए गए विभागीय प्रकरणों में संधानराशि/शास्ति अधिरोपित करने के अधिकार।
- (4) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार हैं।
- (5) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
- (6) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।

आबकारी आयुक्त कार्यालय में पदस्थ उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता आबकारी आयुक्त एवं अपर आयुक्त आबकारी द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

(e) सहायक आयुक्त आबकारी :-— प्रदेश मुख्यालय में विभागाध्यक्ष कार्यालय में कार्यरत रहते हुए, आबकारी आयुक्त, अपर आयुक्त आबकारी एवं उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय के द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी रहते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें निम्नांकित अधिकार प्राप्त हैं :—

- (1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम करने हेतु तलाशी, जप्ती करने के अधिकार।
- (2) किसी—भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी—भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
- (3) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
- (4) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
- (5) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।

(f) संयुक्त संचालक (वित्त) (प्रतिनियुक्ति पर) :-— संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन संवर्ग के अधिकारी के अधिकारी के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पद स्वीकृत है। संयुक्त संचालक (वित्त) विभागाध्यक्ष कार्यालय में वित्तीय व्यवस्था, लेखा संधारण, बजट, आडिट, पेंशन आदि से संबंधित कार्यों का निर्वहन हेतु उत्तरदायी रहते हैं तथा आबकारी आयुक्त एवं अपर आयुक्त आबकारी के द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु भी उत्तरदायी रहते हैं।

(g) सहायक अंकेक्षण एवं लेखा परीक्षण अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर) :-— संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन संवर्ग के सहायक अंकेक्षण एवं लेखा परीक्षण अधिकारी के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पद स्वीकृत हैं। उक्त अधिकारी संयुक्त संचालक (वित्त) के अधीनस्थ पदस्थ रहकर, विभागाध्यक्ष कार्यालय में वित्तीय व्यवस्था, लेखा संधारण, बजट, आडिट, पेंशन आदि से संबंधित

कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी रहते हैं तथा आबकारी आयुक्त एवं अपर आयुक्त आबकारी के द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु भी उत्तरदायी रहते हैं।

(h) सांख्यिकीय अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर) :- संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकीय संवर्ग के अधिकारी के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पद स्वीकृत है। विभागाध्यक्ष कार्यालय में सांख्यिकीय से संबंधित कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी रहेंगे तथा आबकारी आयुक्त एवं अपर आयुक्त आबकारी व उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय के द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु भी उत्तरदायी होंगे। वर्तमान में पद रिक्त है।

(i) जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी :- प्रदेश मुख्यालय में विभागाध्यक्ष कार्यालय में कार्यरत रहते हुए, आबकारी आयुक्त, अपर आयुक्त आबकारी, उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय के द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी रहते हैं।

जो जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी राज्य स्तरीय उड़नदस्ता में पदस्थ हैं, उन्हें निम्नानुसार अधिकार प्राप्त हैं :—

- (1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उनके कार्यक्षेत्र में आबकारी अपराधों के नियंत्रण हेतु तलाशी, जप्ती एवं निरीक्षण करने के अधिकार हैं।
- (2) देशी / विदेशी मंदिरा, भांग, के फुटकर लायसेंसियों एवं पापीस्ट्रा के थोक लायसेंसियों के दुकानों का निरीक्षण करने एवं पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रकरण दर्ज करने के अधिकार हैं।
- (3) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
- (4) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
- (5) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।

अपने कार्य क्षेत्रान्तर्गत लायसेंसियों पर उचित नियंत्रण रखना एवं आबकारी अपराधों की रोकथाम करना इनका मुख्य कर्तव्य है। उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, अपर आयुक्त आबकारी, प्रभारी राज्य स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

(j) कम्प्यूटर प्रोग्रामर :- कार्यालय में स्थित कम्प्यूटरों पर कार्यालयीन कार्य आदि से संबंधित कार्यों को समय पर पूर्ण करने हेतु उत्तरदायी रहेंगे तथा आबकारी आयुक्त, अपर आयुक्त आबकारी एवं उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय के द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु भी उत्तरदायी होंगे। वर्तमान में पद रिक्त है।

(k) कार्यालयीन कर्मचारी :- आबकारी आयुक्त कार्यालय में कार्यरत रहते हुए विभिन्न शाखाओं में कार्य संपादन हेतु प्रत्येक शाखा का प्रभारी कर्मचारी अपनी शाखा से संबंधित कार्यों के सम्पादन एवं अधीनस्थ पर नियंत्रण हेतु उत्तरदायी हैं :—

(1) स्थापना शाखा (अ—राजपत्रित एवं ब—अराजपत्रित) :- स्थापना शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्नांकित कार्य संपादित किए जाते हैं :—

- (1) मुख्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा समस्त उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारियों के सेवा अभिलेखों का संधारण किया जाना।
- (2) अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाले अवकाश की स्वीकृति, अधिकारियों / कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धियों की स्वीकृत किया जाना।

- (3) अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थाईकरण, स्थानांतरण, पदस्थापना, संबंधी कार्य।
- (4) अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्यों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री समिति का गठन, बैठक एवं लिए गए निर्णयों पर कार्यवाही किया जाना।
- (2) लेखा, बजट, आडिट व पेंशन शाखा :— लेखा, बजट, आडिट व पेंशन शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्नांकित कार्य संपादित किए जाते हैं :—
- (1) मुख्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक वेतन का आहरण एवं संवितरण। अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा शासकीय कार्य से की गई यात्रा के लिए प्रस्तुत यात्रा देयकों, स्थानांतरण पर यात्रा अग्रिम व स्थानांतरण यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान की स्वीकृति, आहरण एवं संवितरण।
 - (2) कार्यालयीन कार्य से संबंधित नैमित्तिक व्यय के बिलों, कार्यालयीन भवन का किराया तथा कार्यालयीन उपयोग हेतु क्रय किए गए फर्नीचर एवं उपकरण, इलेक्ट्रानिक उपकरण, वाहन, पुस्तकें, स्टेशनरी, पेट्रोल आईल और लुब्रिकेन्ट आदि के क्रय बिलों के भुगतान की स्वीकृति, आहरण एवं संवितरण।
 - (3) अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि में से अग्रिम राशि के भुगतान की स्वीकृति, आहरण एवं संवितरण।
 - (4) अधिकारियों/कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम, कम्प्यूटर अग्रिम, वाहन अग्रिम, अनाज अग्रिम, त्यौहार अग्रिम राशि के भुगतान की स्वीकृति, आहरण एवं संवितरण।
 - (5) सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि खाते में संचित निधि का अंतिम भुगतान, परिवार कल्याण निधि योजना/समूह बीमा योजना के अन्तर्गत जमा निधि का भुगतान एवं अन्य देय स्वत्वों का आहरण एवं संवितरण।
 - (6) देशी/विदेशी मंदिरों की बोतलों पर लगाए जाने वाले होलोग्राम के लिए उसकी क्रय कीमत के भुगतान की स्वीकृति, आहरण एवं संवितरण।
 - (7) प्रत्येक वर्ष बजट अनुमान के लिए मुख्यालय के साथ-साथ अधीनस्थ कार्यालयों से पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं प्रस्तावित बजट अनुमान के प्रस्ताव मंगाना एवं विभाग का संकलित प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रस्तुत करना।
 - (8) शासन से प्राप्त बजट को मुख्यालय के साथ-साथ अधीनस्थ कार्यालयों को आबंटन करना।
 - (9) प्रत्येक माह होने वाले व्यय के लिए व्यय पत्रक तैयार करना एवं बजट व व्यय पर नियंत्रण रखना।
 - (10) मुख्यालय के साथ-साथ अधीनस्थ जिला कार्यालयों के महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर एवं संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किए गए आडिट/निरीक्षण पर ली गई आपत्तियों पर अधीनस्थ जिला कार्यालयों से उत्तर मंगाया जाकर, विभाग के मत के साथ महालेखाकार अथवा संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को भेजना।
 - (11) आडिट आपत्तियों का निराकरण करवाना।

- (12) उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लंबित आडिट आपत्तियों पर उत्तर तैयार कर, विभाग के मत के साथ समिति को प्रस्ताव/उत्तर प्रस्तुत करना एवं लंबित आडिट आपत्तियों को त्वरित गति से निपटवाना।
- (13) अधिवार्षिकी आयु, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, विकलांगता पर सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदि के मामलों में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण को तैयार करना एवं पेंशन भुगतान आदेश व मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-उपादान भुगतान आदेश जारी करने के लिए प्रकरण संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को आभार साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन दस्तावेज अपलोड करके भेजना।
- (14) सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उसके सेवानिवृत्ति की तारीख के आगामी माह तक प्रकरण में संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन से पेंशन भुगतान आदेश व मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-उपादान भुगतान आदेश प्राप्त न होने की दशा में सेवानिवृत्त ऐसे शासकीय सेवकों को अनन्तिम पेंशन/उपादान के भुगतान की स्वीकृति जारी करना।
- (15) सेवानिवृत्त पर सामान्य भविष्य निधि खाते में संचित निधि का अंतिम भुगतान, परिवार कल्याण निधि योजना/समूह बीमा योजना के अन्तर्गत जमा निधि के भुगतान की स्वीकृति जारी करना।
- (3) **गोपनीय शाखा** :— गोपनीय शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्नांकित कार्य संपादित किए जाते हैं :—
- (1) मुख्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जाँच, निलंबन, निलंबन से बहाल एवं विभागीय जाँच प्रकरणों में जाँच कार्यवाही एवं निर्णय से संबंधित कार्यवाही किया जाना।
 - (2) अधिकारियों/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों का संधारण किया जाना।
 - (3) अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा विभाग के अन्तर्गत मादक द्रव्यों/पदार्थों के अनुज्ञाप्तिधारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा मादक द्रव्यों/पदार्थों के अवैध परिवहन, धारण, विक्रय संबंधी प्राप्त शिकायतों पर जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा की गई जाँच पर प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करना।
- (4) **आसवनी शाखा** :— आसवनी शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्नांकित कार्य संपादित किए जाते हैं :—
- (1) विदेशी मंदिरा के लिए लेबलों का पंजीयन किया जाना।
 - (2) राज्य में आसवनी परिसर स्थित देशी मंदिरा विनिर्माण भांडागारों/भण्डारण भांडागारों की स्थापना से संबंधित कार्यवाही। इसी प्रकार वर्तमान में स्थित विनिर्माण भांडागारों/भण्डारण भांडागारों को बंद करने से संबंधित कार्यवाही।
 - (3) देशी मंदिरा के थोक प्रदाय की व्यवस्था के लिए डिस्ट्रिलरों से टेण्डर आमंत्रित करने एवं न्यूनतम दर के टेण्डर राज्य शासन द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् प्रदाय आदेश तथा सी.एस.1 लायसेंस जारी करना। ई.एन.ए./रेकिटफाईड स्प्रिट के आयात/निर्यात/परिवहन हेतु अनुमति प्रदान किया जाता है।
 - (4) आसवनी में रेकिटफाईड उत्पादन के लिए तथा अन्य पशु आहार निर्माण इकाईयों व अन्य औद्योगिक इकाईयों को उनकी मांग के अनुसार मोलासिस आयात व परिवहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।
 - (5) देशी मंदिरा की फुटकर दुकानों को भण्डारण भांडागारों से सीलबंद बोतलों में देशी मंदिरा प्रदाय के लिए व्यवस्था किया जाना।

- (6) देशी मंदिरा थोक भण्डारण एवं वितरण का नियंत्रण अनुज्ञप्ति के लिए सी.एस.-1ग लायसेंस जारी करना। आसवनी/बाटलिंग इकाई के स्थापना हेतु नक्शा का अनुमोदन करना।

(5) लायसेंस शाखा :-

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित आसवनियों के डी-1 लायसेंसों स्वीकृत/नवीनीकरण करने से संबंधित की जाने वाली कार्यवाही।
- (2) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विदेशी मंदिरा बॉटलिंग इकाईयों के नवीन एफ.एल.9 एवं एफ.एल.9क लायसेंस स्वीकृत/नवीनीकरण करने से संबंधित की जाने वाली कार्यवाही।
- (3) आसवनी परिसर स्थित देशी मंदिरा विनिर्माण भांडागारों के लिए आसवकों को सी.एस.1ख लायसेंस स्वीकृत करने से संबंधित कार्यवाही किया जाना।
- (4) विदेशी मंदिरा एफ.एल. 4 असैनिक विनोद गृह (क्लब) अथवा एफ.एल. 4क (व्यवसायिक क्लब) के लायसेंसों के नवीनीकरण एवं नवीन लायसेंसों की स्वीकृति से संबंधित कार्यवाही किया जाना।

(6) ठेका शाखा :- ठेका शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्नांकित कार्य संपादित किए जाते हैं :-

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित देशी/विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकानों को आबंटन करने के लिए प्रति वर्ष आबकारी नीति का निर्धारण किया जाना एवं दुकानों के आबंटन से संबंधित नियम, निर्देश जारी करने से संबंधित कार्यवाही किया जाना।
- (2) भांग की फुटकर दुकानों के नीलाम के लिए प्रति वर्ष नीति का निर्धारण किया जाना एवं नीलाम से संबंधित कार्यवाही किया जाना।
- (3) आबकारी ठेकों से संबंधित व्यवहार वाद, रिट याचिका प्रकरणों का संधारण एवं प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदि से संबंधित कार्यवाही किया जाना।
- (4) देशी/विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकानों से संबंधित आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत अपील प्रकरणों में कार्यवाही किया जाना।
- (5) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रोपिक सबस्टेन्सेज (छत्तीसगढ़) नियम, 1985 में संशोधन किए जाने से संबंधित कार्यवाही एवं अधिसूचना के प्रारूप तैयार करना। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम/विभिन्न नियमों का विवेचना, संशोधन, बार/क्लब हेतु नीति आदि, मंदिरा उत्पादन के संबंध में नियम तैयार करना, समस्त प्रकार के संशोधन एवं अधिसूचनाओं को तैयार करना तथा संधारण करना।

(7) होलोग्राम शाखा :- होलोग्राम शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्नांकित कार्य संपादित किए जाते हैं :-

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित देशी/विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकानों से बेची जाने वाली सीलबंद मंदिरा बोतलों में होलोग्राम लगाए जाकर ही, फुटकर दुकानों के लायसेंसियों को देशी अथवा विदेशी मंदिरा का प्रदाय दिया जाता है, अतः इसके लिए होलोग्राम क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित करना एवं राज्य शासन की स्वीकृति के उपरांत होलोग्राम प्रदायकर्ता को अनुमति आदेश जारी करने से संबंधित कार्य किया जाना।

- (2) होलोग्राम प्रदायकर्ता से इंकजेट एवं लेजर नंबरिंग, जो आबकारी आयुक्त कार्यालय में ही की जाती है, के पश्चात् होलोग्राम का संग्रह उनके कर्मचारियों द्वारा होलोग्राम शाखा में सौंपा जाता है, जिसे स्टाक पंजी में प्राप्ति का लेखा संधारित करना।
- (3) देशी मंदिरा बॉटलिंग के लिए स्थित विनिर्माण भाण्डागारों एवं विदेशी मंदिरा प्रदायकर्ताओं को शासन द्वारा निर्धारित दर पर शासकीय कोषालय में होलोग्राम क्रय राशि का चालान जमा करने पर तथा उक्त चालान आबकारी आयुक्त कार्यालय में होलोग्राम हेतु मांग पत्र एच.जी.-1 के साथ प्रस्तुत करने पर होलोग्राम का प्रदाय किया जाना, जिसके लिए एच.जी.-2 में विधिवत् पारपत्र जारी करना तथा प्रदाय किए गए होलोग्राम के लिए एच.जी.-4 में प्रदाय का लेखा रखना।
- (4) होलोग्राम का लेखा संधारित करना एवं होलोग्राम प्रदायकर्ता को उसके द्वारा प्रदाय किए गए होलोग्राम के लिए उसकी कीमत के भुगतान से संबंधित कार्यवाही किया जाना।
- (5) मंदिरा बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम की प्रदाय व्यवस्था को एन.आई.सी. के माध्यम से ऑन लाईन साप्टवेयर **Track and Trace Hologram Management System** के द्वारा किया जा रहा है। प्रदाय किये गये होलोग्राम का सत्यापन आनलाईन एवं **SMS** द्वारा किया जा सकता है, जिसे उपभोक्ताओं द्वारा **SMS** के माध्यम से होलोग्राम का सत्यापन एवं मंदिरा की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- (8) **सांखिकीय शाखा** :— सांखिकीय शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्नांकित कार्य संपादित किए जाते हैं :—
- (1) प्रदेश के 27 जिलों से राजस्व संग्रहण, मादक पदार्थों की खपत, उपलंभन आदि से संबंधित मासिक विवरणियाँ प्राप्त होने पर, प्रदेश की विवरणी तैयार किया जाना।
 - (2) जिलों से प्राप्त मासिक पत्रकों का जिलेवार संधारण—रखरखाव से संबंधित कार्य किया जाना।
- (9) **स्टोर्स, स्टेशनरी एवं रिकार्ड रूम शाखा** :— स्टोर्स, स्टेशनरी एवं रिकार्ड रूम शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्नांकित कार्य संपादित किए जाते हैं :—
- (1) विभागाध्यक्ष अर्थात् आबकारी आयुक्त के कार्यालय में उपलब्ध सामग्रियों यथा—फर्नीचर, आलमारी, इलेक्ट्रानिक सामग्रियों (कम्प्यूटर, फैक्स मशीन आदि), वाहन आदि के लिए पंजियों में सामग्रियों का रख—रखाव एवं लेखा संधारण।
 - (2) विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए फर्नीचर, आलमारी, इलेक्ट्रानिक सामग्रियों (कम्प्यूटर, फैक्स मशीन आदि), वाहन आदि के क्रय करने से संबंधित कार्यवाही एवं नवीन क्रय की गई सामग्रियों का रख—रखाव एवं लेखा संधारण।
 - (3) नवीन क्रय की गई सामग्री के लिए प्राप्त देयकों के भुगतान की स्वीकृति लेखा शाखा को जारी करना।
 - (4) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारियों यथा आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आबकारी आरक्षकों के लिए वर्दी का क्रय एवं वितरण किया जाना।
 - (5) शासकीय उपयोग के लिए पुस्तकों का क्रय किया जाना एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन उपयोग हेतु वितरण करना तथा पंजियों में लेखा संधारण किया जाना।

- (6) कार्यालय के स्टोर्स में उपलब्ध सामग्रियों को शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृति उपरांत प्रदाय, वितरण करना।
- (7) सामग्रियों का उचित रख—रखाव, वार्षिक भौतिक सत्यापन एवं अनुपयोगी सामग्रियों के निराकरण के लिए समय—समय पर कार्यवाही किया जाना।
- (8) कार्यालय उपयोग के लिए स्टेशनरी क्रय किया जाना, स्टेशनरी का लेखा पंजियों में संधारित करना एवं कार्यालय उपयोग के लिए क्रय की गई सामग्रियों का लेखा रखकर कार्यालयीन उपयोग हेतु प्रदाय करना तथा शेष सामग्रियों का उचित रख—रखाव करते हुए लेखा पंजियाँ संधारित करना।
- (9) विभागाध्यक्ष कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में संधारित अभिलेखों में से जिन नस्तियों में कार्यवाही पूर्ण हो जाती है, उन्हें संबंधित शाखा द्वारा रिकार्ड रूम में जमा करने पर संबंधित नस्तियों को रिकार्ड रूम में संधारित पंजी में दर्ज करना एवं रिकार्ड को व्यवस्थित रूप से रखना तथा संबंधित शाखा की मांग पर पुनः प्रदाय करना। अभिलेखों के उचित रख—रखाव एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- (10) **पत्रों की आवक—जावक शाखा** :— पत्रों की आवक—जावक शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्नांकित कार्य संपादित किए जाते हैं :—
- (1) विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्राप्त होने वाले पत्र, जो स्थानीय स्तर से अथवा डाक से प्राप्त होते हैं, उन्हें कार्यालय प्रमुख के समक्ष डाक पेड में व्यवस्थित कर रखना।
 - (2) समस्त शासकीय पत्रों को कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित शाखाओं को मार्क किए जाने के पश्चात् उन्हें आवक पंजी में क्रमबद्ध रूप से दर्ज करना तथा संबंधित शाखाओं को वितरित कर, उनकी प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त करना। इसके लिए तीन आवक पंजियाँ संधारित हैं, जिसमें क्रमशः स्थानीय स्तर व डाक से प्राप्त साधारण पत्रों को दर्ज करना, मंत्रालय के विभिन्न विभागों से प्राप्त पत्रों को दर्ज करना एवं माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन के कार्यालय अथवा निवास से प्राप्त पत्रों/शिकायतों को दर्ज करना।
 - (3) कार्यालय की विभिन्न शाखाओं से जारी किए जाने वाले पत्रों को जावक करना, जिसके लिए पृथक पंजी संधारित है।
 - (4) जावक पंजी में दर्ज किए गए पत्रों में से बाहर भेजे जाने वाले पत्रों को डाक से भेजना तथा स्थानीय स्तर पर वितरित किए जाने वाले पत्रों को स्थानीय डाक से वितरित कराया जाकर, उसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति स्थानीय डाक बुक में रखा जाना।
 - (5) बाहर भेजे जाने वाले पत्रों के लिए शासकीय डाक टिकिट (मुद्रांक) का उपयोग करना, जिसके लिए शासकीय डाक टिकिट (मुद्रांक) पंजी संधारित है। डाक टिकिट न्यून बचने पर स्थानीय पोस्ट ऑफिस से क्रय करने हेतु मांगपत्र लेखा शाखा को देना तथा राशि का आहरण होने पर डाक टिकिट पोस्ट ऑफिस से क्रय कर इसका लेखा दिन—प्रतिदिन संधारण करना।
- (11) **लोक सेवा गारंटी योजना** :— आबकारी विभाग द्वारा राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के देशी/विदेशी मदिरा से संबंधित नवीन लाईसेंस जारी किए जाते हैं, अथवा उक्त लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाता है। जिसके लिए आम नागरिक एवं वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया जाता है। वर्तमान में इंज आफॅ डूर्झग बिजनेस के अंतर्गत विभिन्न लाईसेंसों एवं परमिट आदि को ऑनलाईन तरीके से आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा विकसित की जा चुकी है एवं समस्त आवेदनों के निराकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर समय—सीमा का निर्धारण भी किया जा चुका है।

- (12) **नवीन आबकारी थाना/जांच चौकियां** :— आबकारी विभाग द्वारा नवीन आबकारी नीति के तहत राज्य में अवैध मंदिरा तथा मादक औषधि टेबलेट इत्यादि की राज्य में आमद एवं विक्रय पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे जिलों में कुल 28 राज्य स्तरीय/संभाग स्तरीय/जिला स्तरीय आबकारी थाना/जांच चौकियों की स्थापना की गई है।
- (13) **समन्वय शाखा** :— आबकारी विभाग में विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों से पत्राचार एवं विभागीय गतिविधियों से संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान तथा विभागीय कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से अन्य विभागों से संपर्क स्थापित किये जाने हेतु समन्वय शाखा का गठन किया गया है।
- (14) **विविध शाखा** :— आबकारी विभाग में विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कई विभागों/संस्थाओं/जनप्रतिनिधियों आदि से प्राप्त ऐसे पत्राचार जिनका किसी भी विभागीय शाखा/कार्य से कोई सरोकार नहीं रहता है, किन्तु जनहित में उक्त पत्रों का जबाब दिया जाना आवश्यक होता है, उपरोक्तानुसार पत्रों के आदान-प्रादान हेतु विविध शाखा का गठन किया गया है। उक्त शाखा के कार्य हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लिपिक वर्गीय कर्मचारी को नामांकित किया गया है।
- (15) **नवीन प्रशासनिक इकाईया** :— आबकारी विभाग के अंतर्गत नवीन प्रशासनिक कार्यालय, वृत्त कार्यालयों, अपराधियों के रखे जाने हेतु सुधार गृहों आदि की स्थापना हेतु शाखा का गठन किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों द्वारा कार्य संपादन किया जा रहा है।

(ब) जिला स्तर (मैदानी कार्यालय)

(a) कलेक्टर (आबकारी) :— जिला स्तर पर कलेक्टर आबकारी प्रशासन के प्रमुख हैं। आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें निम्नानुसार अधिकार प्राप्त हैं :—

- (1) किसी-भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी-भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
- (2) देशी/विदेशी मंदिरा, भांग के विक्रय हेतु लायसेंस जारी करने का अधिकार।
- (3) मादक पदार्थों के आयात, निर्यात एवं परिवहन हेतु पास जारी करने का अधिकार।
- (4) मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय की दुकानों को लोक शांति हेतु निश्चित समय के लिए बंद करने का अधिकार।
- (5) मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय के लिए जारी किए गए लायसेंसों को निरस्त करने या निलंबित करने का अधिकार है।
- (6) मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय हेतु जारी किए गए लायसेंसों के लायसेंसियों द्वारा लायसेंस शर्तों के उल्लंघन पर दर्ज किए गए प्रकरणों में संधानराशि/शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
- (7) 25 लीटर से अधिक देशी/विदेशी मंदिरा के अवैध परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर मंदिरा एवं वाहन को राजसात करने का अधिकार।
- (8) देशी/विदेशी मंदिरा दुकानों को उसी परिक्षेत्र (लोकेलिटी) में स्थानांतरित करने हेतु आदेश देने का अधिकार।
- (9) देशी/विदेशी मंदिरा के फुटकर विक्रय हेतु जारी लायसेंस के निरस्त होने या अवधि समाप्त होने पर उसमें शेष रहे स्कन्ध के निराकरण के अधिकार।

- (10) एफ.एल.1घ, एफ.एल.1ख (अहाता अनुज्ञप्ति), एफ.एल.3, एफ.एल.5, एफ.एल.5क, एफ.एल.6, एफ.एल.7 एवं एफ.एल.8 लायसेंस जारी करने के अधिकार।
- (11) भांग की 2.50 करोड़ का बोली की स्वीकृति का अधिकार।
- (12) विदेशी मदिरा के आयात एवं निर्यात करने की स्वीकृति देने का अधिकार।
- (13) देशी / विदेशी मदिरा के अधिक मार्गहानि के प्रकरणों में शास्ति आरोपित करने का अधिकार, जिसके लिए आबकारी आयुक्त द्वारा उन्हें प्राधिकृत किया गया है।
- (14) आबकारी सलाहकार समिति “नगरीय एवं ग्रामीण” में अध्यक्ष हैं।
- (15) आबकारी मद में जमा राजस्व रूपये 5,000/- तक रिफण्ड देने का अधिकार।
- (16) स्टोर में हुई हानि, जो वसूली योग्य नहीं है, प्रत्येक प्रकरण में रूपये 5,000/- तक अपलेखन करने का अधिकार।
- (17) आबकारी राजस्व, जो वसूली योग्य नहीं है, प्रत्येक प्रकरण में रूपये 10,000/- तक अपलेखन करने का अधिकार।
- (18) जिला स्तर पर राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं आबकारी स्टाफ पर उचित नियंत्रण रखना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है।

(b) उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी :- छत्तीसगढ़ राज्य के जिला स्तर पर कार्यालय प्रमुख के तौर पर उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी पदस्थि किये गये हैं। अधिक राजस्व वाले 07 जिलों में से रायपुर जिले में उपायुक्त आबकारी तथा क्रमशः दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा जांजगीर-चाँपा तथा रायगढ़ के लिए सहायक आयुक्त आबकारी का पद स्वीकृत है, तथा शेष जिलों में जिला आबकारी अधिकारी का पद स्वीकृत है।

उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय प्रमुख हैं एवं कार्यालय प्रमुख होने के हैसियत से कार्यालय प्रमुख को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे सभी अधिकार इन्हें प्राप्त हैं। उक्त अधिकारियों को अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत निम्नानुसार अधिकार प्राप्त हैं :-

- (1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु तलाशी लेने, जप्ती करने के अधिकार।
- (2) किसी-भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी-भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
- (3) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत देशी / विदेशी मदिरा, भांग के विक्रय हेतु जारी किए गए लायसेंसों के अन्तर्गत लायसेंसियों द्वारा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करने पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी/वृत्त आबकारी उप-निरीक्षक द्वारा दर्ज किए गए प्रकरणों में संधानराशि / शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
- (4) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार।
- (5) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने का अधिकार।
- (6) एन.डी.पी.एस. एकट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने का अधिकार।

जिला स्तर पर राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं आबकारी स्टाफ पर उचित नियंत्रण रखना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है। साथ—ही आबकारी आयुक्त, अपर आयुक्त आबकारी एवं कलेक्टर द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

(c) जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) :- राज्य में तीन आसवनियाँ स्थित हैं, तीनों आसवनियों में जिला आबकारी अधिकारी पदस्थ हैं। आबकारी आयुक्त की अनुमति प्राप्त करने पर आसवनी में स्प्रिट के आयात एवं उत्पादित स्प्रिट के निर्यात परमिट जारी करने के अधिकार हैं। आसवनी में जो भी उत्पादन एवं प्रदाय होता है, वह इनके नियंत्रण में होता है। आसवनी में उत्पादन एवं वितरण सुचारू रूप से करना इनका उत्तरदायित्व है।

(d) सहायक जिला आबकारी अधिकारी :- जिले में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत तलाशी लेने, जप्ती करने, गिरफ्तार करने, निरीक्षण कर पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रकरण दर्ज करने के अधिकार हैं।

- (1) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
- (2) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
- (3) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।

जिला स्तर पर अपने क्षेत्रान्तर्गत राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं छबिगृहों पर उचित नियंत्रण रखना एवं आबकारी अपराधों की रोकथाम करना इनका मुख्य कर्तव्य है। साथ—ही कलेक्टर एवं उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

(e) सहायक जिला आबकारी अधिकारी (विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई) :- जो विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयाँ आसवनी परिसर में स्थित नहीं हैं, उनके प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी रहते हैं। बॉटलिंग इकाईयों में विदेशी मदिरा की बॉटलिंग इनके पर्यवेक्षण में की जाती है। बॉटलिंग इकाई पर नियंत्रण रखना एवं अपने नियंत्रण में उत्पादन, प्रदाय का अधिकार है।

(f) वृत्त आबकारी उप—निरीक्षक :- जिले में आबकारी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई वृत्त है। इसके प्रभार में रायपुर शहर छोड़कर शेष जिलों के आबकारी वृत्तों में आबकारी उप—निरीक्षक पदस्थ हैं। वृत्तों में पदस्थ आबकारी उप—निरीक्षकों को अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत तलाशी लेने, जप्ती करने, गिरफ्तार करने, आबकारी मादक केन्द्रों का निरीक्षण कर पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रकरण दर्ज करने के अधिकार हैं।

- (1) वृत्त में पंजीबद्ध किए गए न्यायालयीन प्रकरणों में सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान वृत्त आबकारी उप—निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं।
- (2) आबकारी केन्द्रों की जांच की जाती है। विभागीय प्रकरण कायम किए जाते हैं।

वृत्त स्तर पर अपने क्षेत्रान्तर्गत राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं छबिगृहों पर कुशल नियंत्रण रखना, आबकारी अपराधों पर नियंत्रण रखना इनका मुख्य कर्तव्य है। कलेक्टर, उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

(g) आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक :- जिले के आबकारी वृत्तों में आबकारी अपराधों के नियंत्रण हेतु पदस्थ रहते हैं। आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पास या अनुज्ञा प्रस्तुत करने की मांग करने एवं तलाशी लेने का अधिकार है। आबकारी उप—निरीक्षक के साथ उपलंभन कार्य, गश्त कार्य एवं आबकारी अपराधों पर नियंत्रण रखना इनका प्रमुख दायित्व है।

(h) कार्यालयीन कर्मचारी :— जिला कार्यालयों में कार्यरत रहते हुए, जिला कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में कार्य संपादन हेतु प्रमुख रूप से निम्नांकित शाखाएँ जिला कार्यालयों में निर्मित हैं, जिनमें परिवर्तन का अधिकार कार्यालय प्रमुख में निहित है। प्रत्येक शाखा का प्रभारी कर्मचारी अपनी शाखा से संबंधित कार्यों के सम्पादन एवं अधीनस्थ पर नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है :—

- (1) स्थापना एवं गोपनीय शाखा
- (2) लेखा, बजट, आडिट व पेंशन शाखा
- (3) ठेका एवं आसवनी शाखा
- (4) मनोरंजनकर शाखा
- (5) स्टोर्स, स्टेशनरी एवं रिकार्ड रूम शाखा
- (6) पत्रों की आवक—जावक शाखा

(iii) निर्णय, प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली कार्यप्रणाली, सनियंत्रण एवं जबाबदेही की व्यवस्था (The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability) :-

(1) आबकारी विभाग के अन्तर्गत जिन प्रकरणों में स्वीकृति देने का अधिकार आबकारी आयुक्त का होता है— जैसे विदेशी मदिरा विक्रय के थोक लायसेंस जारी करना, एफएल.4 व एफएल.4क लायसेंस जारी करना, देशी/विदेशी मदिरा के आयात व निर्यात के सम्बन्ध में स्वीकृति देना एवं विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के पदोन्नति, वेतन भत्ते, अवकाश, विभागीय जाँच, शास्ति आदि से संबंधित ऐसे प्रकरणों में आबकारी आयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित शाखा द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में टीप दी जाती है, जिसमें संबंधित शाखा के प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी/उपायुक्त/अपर आयुक्त आबकारी द्वारा अपनी टीप/अभिमत के साथ नस्ती आबकारी आयुक्त को आदेशार्थ भेजी जाती है। आबकारी आयुक्त द्वारा इसमें यथास्थिति आदेश दिए जाते हैं।

(2) ऐसे प्रकरण, जिनमें शासन की स्वीकृति/अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जैसे—विदेशी मदिरा की बॉटलिंग इकाईयों के लायसेंस स्वीकृति, स्प्रिट के विनिर्माण हेतु आसवनी लायसेंस देने या नवीनीकरण करने, सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा के प्रदाय हेतु लायसेंस देने, आगामी वर्ष के लिए देशी/विदेशी मदिरा की नीति निर्धारित करने (जिसमें कोई विशेष परिवर्तन न हो), होलोग्राम प्रदाय आदेश देने सम्बन्धी, देशी/विदेशी मदिरा के न्यूनतम विक्रय दर निर्धारित करने सम्बन्धी नियमों में संशोधन सम्बन्धी प्रकरण, अधिकारियों/कर्मचारियों के पदोन्नति, स्थानांतरण आदि से सम्बन्धित प्रकरणों में आबकारी आयुक्त के सम्बन्धित शाखा से नस्ती तैयार कर प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी/उपायुक्त आबकारी/अपर आयुक्त आबकारी के द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत की जाती है। आबकारी आयुक्त अपने अभिमत सहित सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग अपने अभिमत सहित, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को भेजते हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर शासन की ओर से आदेश छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के संयुक्त सचिव/उप सचिव या अवर सचिव द्वारा आदेश जारी किये जाते हैं। इस प्रक्रिया में जिन—जिन अधिकारियों द्वारा जो टीप दी गई, उसके लिए वे उत्तरदायी हैं।

(3) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आसव के उत्पादन हेतु आसवनी स्थापित करने, विदेशी मदिरा की बॉटलिंग इकाई स्थापित करते हेतु आशय—पत्र/लायसेंस देने सम्बन्धी, आबकारी नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के सम्बन्ध में, आबकारी अधिनियम, मनोरंजनकर अधिनियम आदि में संशोधन करने सम्बन्धी प्रकरणों में, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को शास्ति देने या पद से हटाने आदि से सम्बन्धित प्रकरणों, जिसमें निर्णय मंत्री मण्डलीय उप—समिति/मंत्री मण्डल द्वारा लिया जाना होता है, ऐसे प्रकरणों में आबकारी आयुक्त कार्यालय के शाखा प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी/उपायुक्त आबकारी/अपर आयुक्त आबकारी द्वारा नस्ती आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत की जाती है। आबकारी आयुक्त द्वारा नस्ती अपने अभिमत सहित सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को भेजते हैं। सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग कुछ प्रकरणों, जिसमें

आवश्यक समझाते हैं, विधि और विधायी कार्य विभाग से परामर्श भी लेते हैं, तत्पश्चात् सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग अपने अभिमत सहित, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी) को भेजते हैं। मंत्री जी के अनुमोदन पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रकरण मंत्री मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे प्रकरणों में मंत्री मण्डल द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, उस पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है। जिन प्रकरणों में मंत्री मण्डलीय उप-समिति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मंत्री मण्डलीय उप-समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है। मंत्री मण्डलीय उप-समिति द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उस पर सचिवालय स्तर पर संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है। उपरोक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया में जिस अधिकारी के द्वारा जो मत/टीप दी जाती है, वे उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, परन्तु संबंधित प्रकरण में लिया गया अन्तिम निर्णय सामूहिक उत्तरदायित्व का होता है।

विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों में लिये जाने वाले निर्णय के लिए प्रक्रिया में लाई जाने वाली कार्यप्रणाली, सनियंत्रण एवं जबाबदेही की व्यवस्था निम्नानुसार है :—

1 देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया :—

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 (जिसे इसके पश्चात् केवल व्यवस्थापन नियम, 2018 भी कहा गया है) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त कर मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन किया जा रहा है। उपरोक्त नियमों के तहत वर्ष 2020–21 में भी राज्य की समस्त देशी/विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों का संचालन विगत वर्ष की भाँति राज्य के सार्वजनिक उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ही किया जा रहा है। अतः इस संबंध में मंत्रि-परिषद् निर्णय दिनांक 08.02.2020 अनुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु एवं निर्देश निम्नानुसार है :—

1/ आवेदन पत्र :— सी. एस. एम. सी. एल. (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र (परिशिष्ट-1) एवं निर्धारित लायसेंस फीस प्रति दुकान प्रति वर्ष एक मुश्त जमा कर आवेदन करेगा। आवेदन पत्र लायसेंस प्रारंभ होने की तिथि से 07 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

2/ लायसेंस मंजूर करने के लिए प्रक्रिया :—

1. जिले की देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों/कंपोजिट मदिरा दुकानों के अनुज्ञापन के लिए आवेदन हेतु सी.एस.एम.सी.एल. अथवा उसके अधिकृत प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 के नियम 5 की प्रक्रिया अनुसार आवेदन पर लायसेंस प्रदान किया जावेगा।
2. अनुज्ञापन प्राधिकारी प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर लायसेंस स्वीकृत कर सकेगा।

3/ मदिरा दुकानों की लायसेंस फीस एवं वसूली:—इस संबंध में बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :—

- i. वर्ष 2020–21 के लिए प्रत्येक देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रूपये 10,000/- निर्धारित किया गया है।
- ii. वर्ष 2020–21 के लिए कम्पोजिट मदिरा दुकानों हेतु वार्षिक लायसेंस फीस रूपये 20,000/- निर्धारित किया गया है।

- iii. किसी भी मदिरा दुकान को वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पोजिट मदिरा दुकान के स्वरूप में परिवर्तित करने की स्थिति में लायसेंस फीस की अंतर की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
- iv. वर्ष 2020–21 के लिये लायसेंस फीस अनुपातिक नहीं होगी, किसी भी समय लायसेंस फीस का निर्धारण सम्पूर्ण वर्ष के अनुसार ही किया जावेगा।

2

भांग, भांगधोंटा एवं भांग मिठाई की फुटकर दुकानों के ठेकों की प्रक्रिया :-

प्रदेश में स्थित भांग, भांगधोंटा एवं भांग मिठाई की फुटकर दुकानों को प्रतिवर्ष माह फरवरी—मार्च में नीलाम द्वारा (बोली/निविदा) दिया जाता है, जिसके ठेके की अवधि 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक रहती है। इन ठेकों का नीलाम कलेक्टर द्वारा किया जाता है। भांग से संबंधित दुकानों के नीलाम के लिए शासन द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार संबंधित जिले के द्वारा उनके जिले हेतु निर्धारित तिथि की विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों के साथ—ही सर्व साधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चर्चा किया जाता है। नीलाम में भाग लेने वाले बोलीदारों/निविदाताओं को नीलाम स्थल में प्रवेश करने के लिए प्रवेश शुल्क रुपये 500/- निर्धारित है, जिसमें मुख्य बोलीदार एवं उसका एक सहायक प्रवेश कर सकता है। बोली/निविदा देने के पूर्व घोषित आरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत भाग अर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होता है तथा इस अर्नेस्टमनी के विरुद्ध वह 10 गुना तक बोली दे सकता है। उच्चतम बोली/निविदा के आधार पर सफल बोलीदार/निविदादाता के पक्ष में नीलाम/निविदा अंतिम किए जाने पर, सफल बोलीदार/निविदादाता को अपनी उच्चतम बोली/निविदा का 1/6 भाग नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट आदि के रूप में नीलाम के तुरन्त बाद जमा करना अनिवार्य है, जिसमें अर्नेस्टमनी की राशि समायोजन योग्य होती है। उच्चतम बोलीदार/निविदादाता को अपनी उच्चतम बोली/निविदा का 1/12 भाग प्रतिभूति के रूप में नीलाम के 3 दिवस के भीतर नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक गारंटी अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य है। भांग का प्रदाय संबंधित जिले के मध्य भांडागार से निर्धारित ड्यूटी दर चुकाकर, भांग का प्रदाय लिया जाता है। भांग की फुटकर दुकानों के लिए ड्यूटी दर रुपये 100/- प्रति किलोग्राम निर्धारित है। भांग अनुज्ञप्ति कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप एच.डी. 7 में जारी की जाती है।

3

अन्य अनुज्ञप्तियाँ एवं जारी करने की प्रक्रिया :-

(1) **एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्ति** :— होटल में विदेशी मदिरा के विक्रय के लिए प्ररूप एफ.एल.3 में अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जाती है। एफ.एल.3 होटल बार, जिस स्थान पर खोला जाना है, यदि संबंधित स्थल नियमों के अन्तर्गत आपत्तिजनक है अथवा ऐसे स्थान/क्षेत्र की जनसंख्या शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम है अथवा जनसंख्या के मान से पर्याप्त लायसेंस हैं, तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित जिले के कलेक्टर की अनुशंसा पर, विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन द्वारा नियमों में अथवा जनसंख्या संबंधी निर्धारित मापदण्डों को शिथिल करने की स्वीकृति दी जाती है। इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत होटल के निवासियों, उनके अतिथियों एवं आगन्तुकों को उनके स्वयं के उपयोग हेतु अनुज्ञाप्त परिसर में भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ उपभोग हेतु विदेशी मदिरा का विक्रय किया जा सकता है। एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्ति के लिए होटल में न्यूनतम 10 कमरे होना आवश्यक है। एफ.एल.3 का लायसेंसी कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित विदेशी मदिरा एफ.एल.1घघ/एफ.एल.1 (घघ—कम्पोजिट)/सी.एस.2 (घघ—कम्पोजिट) दुकानों में से किसी भी एफ.एल.1घघ/एफ.एल.1 (घघ—कम्पोजिट)/सी.एस.2 (घघ—कम्पोजिट) दुकान/दुकानों से विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु

परमिट फीस रुपये 1500/- निर्धारित है। वर्ष 2020-21 से विदेशी मंदिरा एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञाप्तिधारियों को विदेशी मंदिरा एफ.एल.1घघ/एफ.एल.1 (घघ-कम्पोजिट)/सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट) की फुटकर दुकान से बेची जाने वाली विदेशी मंदिरा (स्प्रिट) में लैंडिंग प्राईस रुपये 1500/- तक की विदेशी मंदिरा का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। वर्ष 2020-21 में एफ.एल.3 होटल बार नवीन अनुज्ञाप्ति केवल 3 स्टार एवं उसके ऊपर के स्तर के होटलों को प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

एफ.एल.3 लायसेंस के लिए निर्धारित लायसेंस फीस

क्रमांक	मापदण्ड	वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस
(क)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रुपये 12,60,000
(ख)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो,	रुपये 18,00,000
(ग)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो.	रुपये 24,00,000

(2) एफ.एल.4 अव्यवसायिक क्लब अनुज्ञाप्ति (असैनिक विनोद गृह) :- विनोद गृह (क्लब), जो अव्यवसायिक हो, में क्लब के वास्तविक सदस्यों या उनके अतिथियों को अनुज्ञात परिसर में विदेशी मंदिरा के उपभोग के लिए प्ररूप एफ.एल.4 में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञाप्ति जारी की जाती है। एफ.एल.4 का लायसेंसी क्लेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित विदेशी मंदिरा एफ.एल.1घघ दुकानों में से किसी भी एफ.एल.1घघ/एफ.एल.1 (घघ-कम्पोजिट)/सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट) दुकान/दुकानों से विदेशी मंदिरा (स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रुपये 1500/- निर्धारित है। इस अनुज्ञाप्ति के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 1,50,000/- निर्धारित है।

(3) एफ.एल.4क व्यवसायिक क्लब अनुज्ञाप्ति :- व्यवसायिक क्लब लायसेंस किसी ऐसे कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों की संस्था अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठान को आबकारी आयुक्त द्वारा दी जा सकेगी, जिसके पास निम्न सूचीबद्ध सुविधाओं में से कम से कम पाँच सुविधाएँ उपलब्ध हों, जिनमें सुविधा क्रमांक (अ-1) एवं (अ-2) का होना आवश्यक है :-

- (अ-1) तरण ताल
- (अ-2) व्यायाम शाला, जिसमें शारीरिक व्यायाम हेतु कम-से-कम 12 आइटम हो।
- (अ-3) बैडमिन्टन हॉल
- (अ-4) विलियर्ड्स/पुल टेबल
- (अ-5) टेबल-टेनिस
- (अ-6) स्कॉर्श कोर्ट
- (अ-7) कार्ड्स रूम
- (अ-8) लांग टेनिस कोर्ट

उक्त लायसेंस के अन्तर्गत अनुज्ञाप्त परिसर में विदेशी मंदिरा को अधिपत्य में रख सकेगा एवं वहाँ पर इसे क्लब के सदस्यों एवं उनके वास्तविक अतिथियों को, यदि क्लब का संबंधित सदस्य उसके साथ है, विक्रय कर सकेगा। एफ.एल.4क का लायसेंसी क्लेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित विदेशी मंदिरा एफ.एल.1घघ दुकानों में से किसी भी एफ.एल.1घघ/एफ.एल.1

(घघ—कम्पोजिट) / सी.एस.2 (घघ—कम्पोजिट) दुकान/दुकानों से विदेशी मदिरा (स्प्रिट / माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रुपये 1500/- निर्धारित है। इस लायसेंस के लिए वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस निम्नानुसार निर्धारित है :—

एफ.एल.4क लायसेंस के लिए निर्धारित लायसेंस फीस

क्रमांक	मापदण्ड	वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस
(क)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रुपये 7,50,000
(ख)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो,	रुपये 11,25,000
(ग)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो.	रुपये 15,00,000

(4) **एफ.एल.5 प्रासंगिक अनुज्ञाप्ति** :— यह अनुज्ञाप्ति नृत्य, खेलकूद अथवा अन्य प्रकार के अस्थाई प्रकृति में लोक मनोरंजन के अवसर पर कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञाप्तिधारी विदेशी मदिरा का क्रय जिले के ऐसे एफ.एल.1घघ/एफ.एल.1 (घघ—कम्पोजिट) / सी.एस.2 (घघ—कम्पोजिट) अनुज्ञाप्तिधारियों से करेगा, जैसा कि कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे। इस अनुज्ञाप्ति के लिए लायसेंस फीस रुपये 20,000/- प्रतिदिन निर्धारित है।

(5) **एफ.एल.5क अप्रासंगिक अनुज्ञाप्ति** :— यह अनुज्ञाप्ति नृत्य, खेलकूद अथवा अन्य प्रकार के अस्थाई प्रकृति में लोक मनोरंजन के अवसर पर कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञाप्तिधारी विदेशी मदिरा का क्रय जिले के ऐसे एफ.एल.1घघ/एफ.एल.1 (घघ—कम्पोजिट) / सी.एस.2 (घघ—कम्पोजिट) अनुज्ञाप्तिधारियों से करेगा, जैसा कि कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे। इस अनुज्ञाप्ति के लिए लायसेंस फीस रुपये 10,000/- प्रतिदिन निर्धारित है।

(6) **एफ.एल.6 सैनिक केन्टीन थोक अनुज्ञाप्ति** :— सैनिक केन्टीन का एफ.एल.6 अनुज्ञाप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञाप्तिधारक विदेशी मदिरा रख सकेगा और एफ.एल.7 या एफ.एल.8 के अनुज्ञाप्तिधारकों को थोक विक्रय कर सकेगा। अनुज्ञाप्तिधारी एफ.एल.10 अनुज्ञाप्तिधारक से क्रय करके अथवा आयात करके अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करेगा। इस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस रु. 10000/- निर्धारित है।

(7) **एफ.एल.7 सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञाप्ति** :— सशस्त्र सेनाओं, सीमा सुरक्षा बल, इण्डो तिब्बत सीमा—पुलिस, केन्द्रीय आद्योगिक सुरक्षा बल या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई पैरा मिलिट्री बल से अनुमोदित एवं सम्बद्ध सैनिक केन्टीन का एफ.एल.7 अनुज्ञाप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञाप्तिधारक विदेशी मदिरा रख सकेगा और एफ.एल.8 के अनुज्ञाप्तिधारक को अथवा वास्तविक रक्षा एवं पुलिस कर्मियों को जो सुसंगत विनियमों के अधीन सम्यक् रूप से ऐसे केन्टीनों से ऐसा क्रय करने हेतु प्राधिकृत हो, विदेशी मदिरा का विक्रय कर सकेगा। विक्रय सीलबंद बोतलों में किया जायेगा। परिसर में उपभोग किया जाना निषिद्ध होगा। अनुज्ञाप्तिधारी एफ.एल.6 अथवा एफ.एल.10 के अनुज्ञाप्तिधारक से प्रदाय लेकर अपना स्टाक प्राप्त करेगा। इस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 1000/- निर्धारित है।

(8) **एफ.एल.8 सैनिक विनोद गृह अनुज्ञाप्ति** :— एफ.एल.8 में सैनिक विनोद गृह के लिए अनुज्ञाप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञाप्तिधारक सेना अथवा पैरा मिलिट्री कर्मियों के लिए चलाए जा रहे विनोद गृह (क्लब) अथवा भोजनालय (मेस) में उक्त विनोद गृह अथवा भोजनालय के वास्तविक सदस्यों अथवा उनके अतिथियों को अनुज्ञाप्त परिसर में उपभोग हेतु विदेशी मदिरा रख सकेगा और विक्रय कर सकेगा तथा एफ.एल.8 अनुज्ञाप्तिधारक एफ.एल.6 अथवा एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.10 के अनुज्ञाप्तिधारक से प्रदाय लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 1000/- निर्धारित है।

(9) एफ.एल.9 बोतल भराई अनुज्ञाप्ति-बॉटलिंग लायसेंस :— एफ.एल.9 में अनुज्ञाप्ति शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञाप्तिधारक, जिसे विदेशी मदिरा की बोतल भराई की मंजूरी है, स्प्रिट को सम्मिश्रित और तेजी कम करके विदेशी मदिरा का विनिर्माण और बोतल भराई कर सकेगा। अनुज्ञाप्तिधारक अन्य राज्यों के एफ.एल.6 और एफ.एल.10 के अनुज्ञाप्तिधारकों को विदेशी मदिरा का अंतरण एवं विक्रय कर सकेगा। बोतल भराई के लिए फीस रुपये 6.00 प्रति प्रुफ लीटर निर्धारित है, जिसका संदाय अनुज्ञाप्तिधारक करेगा। इस लायसेंस के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 10,00,000/- निर्धारित है। विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए ई.एन.ए. का प्रदाय राज्य में स्थित आसवनियों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए परिवहन फीस रुपये 1500/- प्रति परमिट निर्धारित है। ई.एन.ए. का आयात राज्य के बाहर अन्य राज्यों से भी किया जा सकता है, जिसके लिए आयात फीस रुपये 6.00 प्रति बल्कलीटर निर्धारित है। अनुज्ञाप्तिधारक केवल उन्हीं ब्राण्ड/लेबलों की विदेशी मदिरा की भराई कर सकता है, जिनके लेबल/लेबलों (नामपत्र/नामपत्रों) को विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 9 के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त के कार्यालय में पंजीकृत कराया गया हो। विदेशी मदिरा के प्रत्येक लेबल (नामपत्र) के लिए पंजीयन शुल्क रुपये 3,00,000/- निर्धारित है।

(10) एफ.एल.9क विशेष बोतल भराई अनुज्ञाप्ति :— यह अनुज्ञाप्ति, ऐसे एफ.एल.9 अनुज्ञाप्तिधारी को शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी, जिसे विदेशी मदिरा के ऐसे विनिर्दिष्ट लेबलों अथवा ब्राण्डों के स्वामी द्वारा उन लेबलों अथवा ब्राण्डों की विदेशी मदिरा की बोतल भराई के लिए विशेषाधिकार दिया गया है अथवा प्राधिकृत किया गया हो, जिन लेबलों अथवा ब्राण्डों की विदेशी मदिरा का विनिर्माण संबंधित एफ.एल.9 अनुज्ञाप्तिधारी को उनके संबंध में विशेषाधिकार दिए जाने के समय अथवा पूर्व में छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं भी किया जा रहा है अथवा किया गया हो। यह अनुज्ञाप्ति ऐसे एफ.एल.9 अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा भी लिया जाना आवश्यक होगा, जो उसके स्वयं के स्वामित्व की ऐसी लेबलों/ब्राण्डों की विदेशी मदिरा का विनिर्माण करना चाहता हो, जिनकी विदेशी मदिरा का विनिर्माण पूर्व से ही छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं भी किया गया हो अथवा किया जा रहा हो। इस लायसेंस के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 5,00,000/- प्रति फैन्चाईजी निर्धारित है।

(11) एफ.एल.10 (प्रदायकर्ता का वितरण—नियंत्रण अनुज्ञाप्ति) :— यह अनुज्ञाप्ति केवल छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के लिए होगी। अनुज्ञाप्तिधारी विदेशी मदिरा का भण्डारण एफ.एल.10क एवं एफ.एल.10ख के माध्यम से केवल उन ब्राण्डों तथा लेबलों का भण्डारण करावेगा, जो नियम 9 के अंतर्गत पंजीकृत हो। एफ.एल.10 अनुज्ञाप्तिधारी, एफ.एल.10क एवं एफ.एल.10ख द्वारा भण्डारण किये गये विदेशी मदिरा स्टॉक को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित मदिरा दुकानों/एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.8 अनुज्ञाप्तिधारी को विक्रित करावेगा। अनुज्ञाप्तिधारी सुविधा अनुसार एक से अधिक स्थानों/जिलों में विदेशी मदिरा का भण्डारण एवं विक्रय कर सकेगा।

(12) एफ.एल.10क (राज्य के बाहर निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) एवं एफ.एल.9(क) अनुज्ञाप्ति के अधीन निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञाप्ति) :— यह अनुज्ञाप्ति छत्तीसगढ़ के बाहर निर्मित विदेशी मदिरा एवं राज्य के एफ.एल.9(क) विशेष बोतल भराई अनुज्ञाप्तिधारक द्वारा निर्मित मदिरा का भण्डारण एवं थोक विक्रय हेतु प्रदत्त की जावेगी। अनुज्ञाप्तिधारक मदिरा का संग्रहण एफ.एल.10 अनुज्ञाप्तिधारक के गोदाम परिक्षेत्र में ही कर सकेगा। यह अनुज्ञाप्ति उन स्थानों में दी जावेगी, जहां एफ.एल.10 अनुज्ञाप्ति के गोदाम हो। अनुज्ञाप्तिधारक केवल उन ब्राण्ड/नामपत्रों (लेबलों) की विदेशी मदिरा का नियमानुसार देय समस्त फीस/शुल्क का संदाय करने के पश्चात् भण्डारण करेगा, जो नियम 9 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा पंजीकृत हो। अनुज्ञाप्तिधारक, भण्डारित मदिरा का विक्रय छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित मदिरा दुकानों/एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.8 अनुज्ञाप्तिधारक को ही कर सकेगा।

(13) एफ.एल.10ख :—(राज्य में एफ.एल. 9 अनुज्ञप्ति के अधीन बॉटलिंग की गई विदेशी मंदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति) :— यह अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ राज्य के एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारक द्वारा निर्भित मंदिरा का भण्डारण एवं थोक विक्रय हेतु प्रदत्त की जावेगी। यह अनुज्ञप्ति राज्य के सभी एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारकों को प्रथक—पृथक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्तिधारक मंदिरा का संग्रहण एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारक के गोदाम परिक्षेत्र में ही कर सकेगा। यह अनुज्ञप्ति उन स्थानों में दी जावेगी, जहां एफ.एल.10 अनुज्ञप्ति के गोदाम हो। अनुज्ञप्तिधारक केवल उन ब्राण्ड/नामपत्रों (लेबलों) की विदेशी मंदिरा का नियमानुसार देय समस्त फीस/शुल्क का संदाय करने के पश्चात् भण्डारण करेगा, जो नियम 9 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा पंजीकृत हो। अनुज्ञप्तिधारक, भण्डारित मंदिरा का विक्रय छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित मंदिरा दुकानों/एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारक को ही कर सकेगा।

(14) सी.एस.1—ग :— (देशी मंदिरा थोक भण्डारण एवं वितरण का नियंत्रण अनुज्ञप्ति) :— छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर को उनके द्वारा संचालित भण्डारण भाण्डागारों हेतु, राज्य शासन द्वारा समय—समय पर नियत किये जाने वाली वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान किये जाने पर राज्य के समस्त देशी भण्डारण भाण्डागारों में देशी मंदिरा के भण्डारण एवं वितरण के नियंत्रण हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा प्रारूप सी.एस.1—ग में अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी।

प्रारूप सी.एस.1—ग के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचालित भण्डारण भाण्डागारों में प्रदाय हेतु अधिकृत प्रारूप सी.एस.1 के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देशी मंदिरा का भण्डारण किया जावेगा। भण्डारित देशी मंदिरा को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित देशी मंदिरा की फुटकर विक्रय की दुकानों के माध्यम से विक्रय किया जायेगा।

4 पेय प्रासव उत्पादन अनुज्ञप्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया :— छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत आसवनी में स्प्रिट उत्पादन के लिए डिस्टिलरी की स्थापना करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अनुसार आसवनी का संनिर्माण तथा कार्य करने के लिए आशयित व्यक्ति, अपनी स्कीम प्ररूप डी (ए) में अधिसूचित करते हुए एक आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए आवेदन पंजीयन हेतु उसे रुपये 10,000/- शासन कोष में जमा कर, चालान की मूल प्रति आवेदन के साथ जमा किया जाना आवश्यक है तथा आवेदक की प्रस्तावित स्कीम से सरकार का समाधान होने पर राज्य शासन द्वारा प्ररूप डी (बी) में आशय पत्र जारी किया जावेगा, जो जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष तक की कालावधि के लिए वैध रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि, संसूचित किया गया आशय पत्र अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए कोई अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है तथा वह किसी भी समय धारक को कारण बताओ सूचना पत्र देने के पश्चात् और सुनवाई के उपरांत लोकहित में प्रतिसंहरण एवं प्रत्याहरण किया जा सकता है, जिसके लिए संबंधित को हुई हानि के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। आसवनी के लिए भवन का संनिर्माण तथा संयंत्र और मशीनरी का परिनिर्माण पूरा हो जाने पर राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए रुपये 20,00,000/- वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर प्रारूप डी—1 में स्पिरिट के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी, जो प्रत्येक वर्ष अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए नवीकृत की जा सकेगी।

5 विदेशी मंदिरा बॉटलिंग यूनिट अनुज्ञप्ति स्वीकृति की प्रक्रिया :— छत्तीसगढ़ विदेशी मंदिरा नियम, 1996 के नियम 3 के अन्तर्गत विदेशी मंदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई की स्थापना करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अनुसार विदेशी मंदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई के निर्माण एवं चलाने के लिए आशयित व्यक्ति समस्त सुसंगत व्यौरे देते हुए अपनी स्कीम अधिसूचित करते हुए एक आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए आवेदन पंजीयन हेतु उसे रुपये 10,000/- शासन कोष में जमा कर, चालान की मूल प्रति आवेदन के साथ जमा किया जाना आवश्यक है तथा आवेदक की प्रस्तावित स्कीम से सरकार का समाधान होने पर राज्य शासन द्वारा आशय पत्र जारी किया जावेगा,

जो जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए वैध रहेगा। उक्त कालावधि के दौरान संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन के संनिर्माण के लिए मानचित्र अनुमोदन हेतु आबकारी आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ सरकार द्वारा जारी किए गए आशय पत्र की प्रति, विनिर्माण भवन के मानचित्र, संयंत्र और मशीनरी के साथ प्रस्तावित विनिर्माण इकाई (मैन्यूफैक्चरी) की परियोजना रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल और राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित या नियमों के अधीन अपेक्षित अन्य कोई प्रमाण—पत्र अथवा प्राधिकार—पत्र या निर्बन्धन—पत्र की प्रति तथा आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। मानचित्र अनुमोदन के पश्चात् विदेशी मंदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई के लिए भवन का संनिर्माण और संयंत्र तथा मशीनरी का परिनिर्माण पूर्ण करने के उपरांत आबकारी आयुक्त को रिपोर्ट की जावेगी। विदेशी मंदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई के लिए भवन का संनिर्माण तथा संयंत्र और मशीनरी का परिनिर्माण पूरा जाने पर राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए रुपये 10,00,000/- वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस का संदाय करने पर एक वर्ष की कालावधि के लिए प्ररूप एफ.एल.9 में तथा रुपये 5,00,000/- प्रति फैन्चाईजी वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस का संदाय करने पर एक वर्ष की कालावधि के लिए एफ.एल.9क में अनुज्ञाप्ति मंजूर की जा सकेगी, जो प्रत्येक वर्ष अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों एवं अनुज्ञाप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए नवीकृत की जा सकेगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि, आबकारी आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई अनुज्ञाप्तिधारी इस अनुज्ञाप्ति को आडमान, विक्रय, बंधक, अंतरण या उप—पट्टा नहीं कर सकता है अथवा किसी भागीदारी में सम्मिलित नहीं कर सकता है। यदि ऐसी अनुमति दी जाती है, तो वह अनुज्ञाप्ति पर दर्ज की जावेगी।

6 बीयर निर्माण अनुज्ञाप्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया :— छत्तीसगढ़ यवासवनी नियम, 1970 के नियम 3 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य में यवासवनी स्थापित करना या चलाना चाहता हो, उसके लिए लायसेंस प्राप्त करने के लिए कलेक्टर के माध्यम से आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ को आवेदन प्रपत्र ख-1 में कर सकता है। यदि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो आवेदक द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन के संनिर्माण के लिए मानचित्र अनुमोदन हेतु आबकारी आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा एवं यवासवनी नियम, 1970 में निहित प्रावधान एवं शर्तों के अधीन रहते हुए मंजूर किया जावेगा।

राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए रुपये 5,00,000/- वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस का संदाय करने पर एक वर्ष की कालावधि के लिए प्ररूप ख-1-अ में अनुज्ञाप्ति मंजूर की जा सकेगी, जो प्रत्येक वर्ष अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों एवं अनुज्ञाप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए नवीकृत की जा सकेगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि, आबकारी आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई अनुज्ञाप्तिधारी इस अनुज्ञाप्ति को आडमान, विक्रय, बंधक, अंतरण या उप—पट्टा नहीं कर सकता है अथवा किसी भागीदारी में सम्मिलित नहीं कर सकता है। यदि ऐसी अनुमति दी जाती है, तो वह अनुज्ञाप्ति पर दर्ज की जावेगी।

7 देशी मंदिरा के थोक प्रदाय हेतु निविदाओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया :-

प्रदेश के 27 जिलों को देशी मंदिरा के थोक प्रदाय के लिए टेण्डर नोटिस जारी किया जाकर, प्रदेश की पेय प्राप्तव उत्पादन करने वाली आसवनियों के लायसेंस धारण करने वाले अनुज्ञाप्तिधारियों से, टेण्डर नोटिस में निर्धारित तिथि तक निर्धारित टेण्डर प्रपत्र पर टेण्डर आमंत्रित किए जाते हैं। आसवनी के अनुज्ञाप्तिधारियों से निर्धारित तिथि तक सीलबंद टेण्डर प्रपत्र होने पर, जिस प्रदाय क्षेत्र के लिए न्यूनतम दर, जिस टेण्डरदाता (आसवनी अनुज्ञाप्तिधारी) द्वारा दिया जाता है, उसे राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किया जाकर उनके द्वारा दी गई न्यूनतम दर पर राज्य के निम्नलिखित 08 देशी मंदिरा

प्रदाय क्षेत्रों के जिलों में स्थित भण्डारण भांडागारों से मास्टर कॉर्टन पैकिंग में सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय करने का ठेका स्वीकृत किया जाता है :—

क्र.	प्रदाय क्षेत्र का नाम		प्रदाय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिलों का नाम	
1	1	रायपुर	1	रायपुर
			2	महासमुंद
	2	दुर्ग	1	दुर्ग
			2	बालोद
			3	राजनांदगांव
2	3	बेमेतरा	1	बेमेतरा
			2	मुंगेली
	4	बिलासपुर	1	बिलासपुर
			2	कबीरधाम
			3	गरियाबंद
3	5	बस्तर	1	जगदलपुर
			2	नारायणपुर
			3	कोण्डागांव
			4	उ.ब.कॉकेर
			5	द.ब.दन्तेवाड़ा
			6	बीजापुर
			7	सुकमा
			8	धमतरी
	6	कोरबा	1	कोरबा
			2	बलौदाबाजार—भाटापारा
	7	जांजगीर—चाँपा	1	जांजगीर—चाँपा
			2	सरगुजा
			3	सूरजपुर
			4	सूरजपुर
			5	कोरिया
	8	रायगढ़	1	रायगढ़
			2	जशपुर

आसवनी परिसर स्थित देशी मदिरा विनिर्माण भांडागार में देशी मदिरा की बॉटलिंग, लेबलिंग, सीलिंग आदि तथा होलोग्राम चर्चा कर मास्टर कॉर्टन पैकिंग में संबंधित देशी मदिरा प्रदायकर्ता की आसवनी से उन्हें स्वीकृत प्रदाय क्षेत्रों के जिलों में स्थित भण्डारण भांडागारों को प्रदाय किया जाता है। जहां से देशी मदिरा की फुटकर दुकानों को मदिरा का प्रदाय भण्डारण भांडागारों से मांग मात्रा पर निर्धारित ड्यूटी दर से ड्यूटी की राशि जमा करने के उपरांत संबंधित लायसेंसियों को किया जाता है। देशी मदिरा के सीलबंद बोतलों में प्रदाय करने के लिए प्रति वर्ष निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जाती है।

8 **भांग प्रदाय की व्यवस्था** :— छत्तीसगढ़ राज्य में भांग की फुटकर दुकानें केवल 04 जिलों क्रमशः रायपुर, दुर्ग व बिलासपुर में स्थित हैं तथा इन जिलों में दुकानों की कुल संख्या 05 है। छत्तीसगढ़ राज्य अथवा पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य में भांग की खेती नहीं होती है तथा पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के समय हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के थोक भांग प्रदायकर्ताओं से भांग प्रदाय करने

के लिए टेण्डर आमंत्रित किए जाकर, भांग की आपूर्ति की जाती रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में भांग की दुकानों की संख्या न्यून होने के कारण वर्ष 2020–21 में टेण्डर आमंत्रित कर भांग प्रदाय किया गया है।

9 होलोग्राम क्रय करने एवं वितरण से संबंधित प्रक्रिया :— देशी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों पर आबकारी आयुक्त से प्राप्त होलोग्राम चर्स्पा करने के पश्चात् ही देशी एवं विदेशी मदिरा का प्रदाय फुटकर मदिरा विक्रेताओं (लायसेंसियों) को किया जाता है। आबकारी आयुक्त द्वारा होलोग्राम क्रय करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर टेण्डर मंगाये जाते हैं। तत्पश्चात् शासन के अनुमोदन पश्चात् सफल निविदाकार से आबकारी आयुक्त द्वारा होलोग्राम क्रय किए जाते हैं।

होलोग्राम पर इंकजेट एवं लेजर नंबरिंग होलोग्राम प्रदायकर्ता के द्वारा आबकारी आयुक्त कार्यालय में ही की जाती है तथा नंबरिंग के पश्चात् उक्त संग्रह आबकारी आयुक्त कार्यालय को सौंपा जाता है। आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा प्रदायकर्ताओं को शासन द्वारा निर्धारित दर पर शासकीय कोषालय में होलोग्राम क्रय राशि का चालान जमा करने तथा उक्त चालान आबकारी आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही होलोग्राम प्रदाय किए जाते हैं जिसे वे देशी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों पर चर्स्पा करने के पश्चात् मदिरा का प्रदाय करते हैं। होलोग्राम का प्रदाय एवं परिवहन हेतु विशेष पास जारी किया जाता है तथा प्रदायकर्ताओं द्वारा अधिकृत व्यक्ति को ही होलोग्राम का प्रदाय दिया जाता है।

(iv) कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रतिमान (नार्म्स) (norms set by it for the discharge of its functions) :-

आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा संपादित कार्यालयीन कार्य के अतिरिक्त निरीक्षण को महत्ता देते हुए सामयिक अंतरालों पर निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण प्रतिमान (नार्म्स) निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नानुसार है :—

आबकारी अधिकारियों हेतु निर्धारित निरीक्षण प्रतिमान (नार्म्स)

(क) कार्यालय निरीक्षण :-

क्र.	कार्यालय	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों की संख्या
1.	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त / अपर आयुक्त आबकारी	वर्ष में एक बार
2.	उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता	आबकारी आयुक्त / अपर आयुक्त आबकारी	वर्ष में एक बार
	उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता	आबकारी आयुक्त / अपर आयुक्त आबकारी	वर्ष में एक बार
3.	सहायक आयुक्त आबकारी/ जिला आबकारी अधिकारी	1. आबकारी आयुक्त / अपर आयुक्त आबकारी 2. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता 3. सहायक आयुक्त आबकारी 4. जिला आबकारी अधिकारी	दो वर्ष में एक बार वर्ष में एक बार वर्ष में एक बार वर्ष में एक बार

4.	कार्यालय प्रभारी अधिकारी, डी-1, एफ.एल.9, एफ.एल.9-क एवं एफ.एल.-10	उपायुक्त आबकारी मुख्यालय (संभागीय उड़नदस्ता)	वर्ष में एक बार
5.	वृत्त कार्यालय	1. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता	संभाग के प्रत्येक जिले का एक वृत्त प्रत्येक वर्ष।
		2. सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी, (संभागीय उड़नदस्ता)	प्रत्येक वर्ष संभाग के प्रत्येक जिले का एक वृत्त
		3. सहायक आयुक्त आबकारी(जिला प्रभारी)	वर्ष में एक बार प्रत्येक वृत्त
		4. जिला आबकारी अधिकारी(जिला प्रभारी)	वर्ष में एक बार प्रत्येक वृत्त
		5. सहायक जिला आबकारी अधिकारी (यदि वृत्त के प्रभार में उप निरीक्षक पदस्थ है।)	वर्ष में एक बार प्रत्येक वृत्त
6.	मद्य भाण्डागार	1. उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता	प्रत्येक मद्य भाण्डागार वर्ष में एक बार
		2. सहायक आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता	प्रत्येक मद्य भाण्डागार वर्ष में एक बार।
		3. जिला आबकारी अधिकारी, संभागीय उड़नदस्ता	प्रत्येक मद्य भाण्डागार वर्ष में एक बार
		4. सहायक आयुक्त आबकारी (जिला प्रभारी)	प्रत्येक मद्य भाण्डागार वर्ष में दो बार
		5. जिला आबकारी अधिकारी (जिला प्रभारी)	प्रत्येक मद्य भाण्डागार वर्ष में दो बार
		6. सहायक जिला आबकारी अधिकारी (यदि मद्य भाण्डागार का प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक है।)	त्रैमासिक

(ख) अन्य महत्वपूर्ण अनुज्ञप्तियां :-

क्र.	अनुज्ञप्ति का प्रकार	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों की संख्या
1.	डी-1 एवं इसके साथ दिये गये एफ.एल.9, एफ.एल.9 के लायसेंस यदि इनके प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) हैं।	1. उपायुक्त आबकारी मुख्यालय / सहायक आयुक्त आबकारी, (संभागीय उड़नदस्ता)	वर्ष में एक बार

2.	डी-१ एवं इसके साथ दिये गये एफ.एल.९, एवं एफ.एल.९क लायरेंस यदि इनके प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी के पद के नीचे के अधिकारी हैं	1.	उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता	वर्ष में एक बार
		2.	जिले के सहायक आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता / जिला आबकारी अधिकारी	वर्ष में एक बार
3.	स्वतंत्र रूप से दिये गये एफ.एल. 10	1.	उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता	वर्ष में एक बार
		2.	जिले के सहायक आयुक्त आबकारी,	वर्ष में एक बार।

(ग) अन्य अनुज्ञप्तियों का निरीक्षण :-

क्र.	अनुज्ञप्ति का प्रकार	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों की संख्या
1.	देशी / विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकाने	1. उपायुक्त आबकारी सहायक आयुक्त आबकारी अधिकारी, उड़नदस्ता (संभागीय उड़नदस्ता)	प्रत्येक अधिकारी द्वारा 6 केन्द्र प्रतिमाह
		2. सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी	जिला मुख्यालय में प्रत्येक केन्द्र तीन माह में एक बार, शेष प्रत्येक केन्द्र वर्ष में एक बार
		3. सहायक जिला आबकारी अधिकारी	जिला मुख्यालय में प्रत्येक केन्द्र माह में एक बार शेष प्रत्येक केन्द्र वर्ष में दो बार
		4. वृत्त का प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी / आबकारी उप निरीक्षक	मुख्यालय स्थित केन्द्र साप्ताहिक अन्य मासिक

(v) विभाग में रखे जाने वाले विधान-नियम (Rules, regulations, instructions, manuals and records) :-

(अ) विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य संपादन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले नियम, विधान, आदेश, निर्देश, जो उनके द्वारा धारित किए जाते हैं, निम्नानुसार हैं। मुख्यालय अर्थात् आबकारी आयुक्त कार्यालय एवं अधीनस्थ उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारियों के कार्यालयों में धारित होते हैं :—

- (1) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915)
- (2) स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेक पदार्थ अधिनियम, 1985 (क्रमांक 61 सन् 1985)
- (3) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (क्रमांक 16 सन् 1955)
- (4) मादक (स्पिरिटजन्य) सम्पाक अन्तर्राज्य (व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 (क्रमांक 39 सन् 1955)
- (5) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (क्रमांक 46 सन् 1988)
- (6) सामान्य प्रयोग के नियम, 1960
- (7) आबकारी सलाहकार समिति के गठन और कार्य संबंधी नियम, 1960
- (8) सामान्य अनुज्ञाप्ति शर्तें
- (9) छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995
- (10) छत्तीसगढ़ देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018
- (11) छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995
- (12) छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996
- (13) छत्तीसगढ़ विप्रकृत स्पिरिट नियम, 1960
- (14) छत्तीसगढ़ परिशोधित स्पिरिट नियम, 1960
- (15) छत्तीसगढ़ भांग नियम, 1960
- (16) छत्तीसगढ़ अपीलें, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन नियम, 1960
- (17) छत्तीसगढ़ राजसात वस्तुओं के (निपटारा) के संबंध में नियम, 1960
- (18) छत्तीसगढ़ मादक मादक सम्पाक अन्तर्राज्य (व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण नियम, 1960
- (19) छत्तीसगढ़ यवासवनी नियम, 1970
- (20) स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेक पदार्थ सिद्धदोष या आदी (व्यसनी) के द्वारा बंधपत्र निष्पादन नियम, 1985
- (21) स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेक पदार्थ (केन्द्रीय) नियम, 1985
- (22) स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेक पदार्थ (छत्तीसगढ़) नियम, 1985
- (23) छत्तीसगढ़ वाईनरी नियम, 2013
- (24) होलोग्राम के क्रय, भण्डारण, रख—रखाव, परिवहन व निर्गम के सम्बन्ध में जारी निर्देश
- (25) देशी/विदेशी मदिरा, भांग, के फुटकर लायसेंस जारी करने हेतु जारी किए गए निर्देश

(ब) उक्त के अतिरिक्त शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होने वाले निम्नलिखित नियम मुख्यालय अर्थात् आबकारी आयुक्त कार्यालय एवं अधीनस्थ उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारियों के कार्यालयों में रखे जाते हैं :—

- (1) छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम
- (2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977
- (3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976
- (4) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा) परिचर्या नियम, 1958
- (5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961
- (6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (स्थाई एवं अद्व्दस्थाई) सेवा नियम, 1960
- (7) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965
- (8) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966
- (9) छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग—एक
- (10) छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग—दो
- (11) छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना नियम, 1985
- (12) छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955
- (13) छत्तीसगढ़ वेतन निर्धारण नियम
- (14) छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम
- (15) छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग—एक एवं दो
- (16) छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग— एक एवं दो
- (17) छत्तीसगढ़ लेखा संहिता भाग— एक एवं दो
- (18) छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम
- (19) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदग्रहणकाल) नियम, 1982

(vi) विभाग द्वारा धारित अभिलेखों की श्रेणी (Statement of the categories of documents):—

विभाग में रखे जाने वाले अभिलेखों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :—

- (1) आबकारी आयुक्त कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेख।
- (2) उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेख।
- (3) उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेख।
- (4) जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) के कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेख।
- (5) विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में रखे जाने वाले अभिलेख।
- (6) मद्य भांडागार में रखे जाने वाले अभिलेख।
- (7) वृत्त कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेख।

(i) आबकारी आयुक्त कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेख

- (1) आबकारी की फुटकर दुकानों के ठेकों से संबंधित अभिलेख
- (2) आसवनी एवं बॉटलिंग इकाईयों से संबंधित अभिलेख

- (3) होलोग्राम क्रय करने संबंधी निविदायें आमंत्रित करने से संबंधित अभिलेख एवं होलोग्राम के क्रय एवं प्रदाय से संबंधित पंजियों तथा जमा राशि से संबंधित अभिलेख
- (4) न्यायालीन प्रकरणों से संबंधित अभिलेख
- (5) स्थापना शाखा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेख
- (6) अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जाँच प्रकरणों से संबंधित अभिलेख
- (7) अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों से संबंधित जाँच संबंधी अभिलेख
- (8) पूर्व में मनोरंजनकर में छबिगृहों, वीडियो, केबल/डी.टी.एच. आपरेटरों एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों से संबंधित अभिलेख
- (9) स्टोर, स्टेशनरी एवं भण्डार क्रय एवं प्रदाय से संबंधित अभिलेख
- (10) बजट निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण तथा जिलों को आबंटन संबंधी अभिलेख
- (11) आडिट एवं कार्यालयीन निरीक्षण से संबंधित अभिलेख
- (12) अधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले वेतन एवं अन्य भत्तों एवं अग्रिम धनों के भुगतान से संबंधित देयकों से संबंधित अभिलेख
- (13) समस्त व्यय की गई राशियों के लिए मासिक व्यय विवरणी से संबंधित समस्त अभिलेख
- (14) होलोग्राम की खरीदी, रख-रखाव एवं प्रदाय संबंधी अभिलेख
- (15) सांख्यिकी से संबंधित समस्त जानकारी (आय, खपत, उपलंभन आदि) से संबंधित अभिलेख एवं मासिक पत्रकों की तैयारी व संधारण।
- (ii) उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख
- (1) आबकारी की फुटकर दुकानों के ठेकों से संबंधित अभिलेख
- (2) आसवनी एवं बॉटलिंग इकाईयों के लिए मुख्यालय से जारी किए गए अनुज्ञापनों के अन्तर्गत जिलों में स्थित इकाईयों से संबंधित अभिलेख
- (3) न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित अभिलेख
- (4) स्थापना शाखा में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेख
- (5) समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावलियों से संबंधित अभिलेख
- (6) अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जाँच प्रकरणों से संबंधित अभिलेख
- (7) अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों से संबंधित जाँच संबंधी अभिलेख
- (8) स्टोर, स्टेशनरी एवं भण्डार क्रय एवं प्रदाय से संबंधित अभिलेख

- (9) शासकीय वाहनों का रख—रखाव एवं अन्य कार्यालयीन उपकरणों के क्रय व रख—रखाव से संबंधित अभिलेख एवं वाहन की लागबुक
- (10) बजट निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण तथा मुख्यालय से प्राप्त बजट आबंटन संबंधी अभिलेख
- (11) आडिट संबंधित अभिलेख
- (12) अधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले वेतन एवं अन्य भत्तों एवं अग्रिम धनों के भुगतान से संबंधित देयकों से संबंधित अभिलेख
- (13) समस्त व्यय की गई राशियों के लिए मासिक व्यय विवरणी से संबंधित अभिलेख
- (14) सांख्यिकी से संबंधित समस्त जानकारी (आय, खपत, उपलंभन आदि) से संबंधित अभिलेख एवं मासिक पत्रकों की तैयारी व प्रेषण
- (15) कार्यालय, वृत, भांडागार, आसवनी, बॉटलिंग यूनिटों के निरीक्षणों से संबंधित निरीक्षण टीपै
- (16) आबकारी अपराधों एवं विभागीय लायसेंसियों द्वारा किए गए अपराध के लिए अपराध घटना पंजी पी-14 का संधारण एवं रख—रखाव तथा विभागीय प्रकरणों की नस्तियाँ

(iii) उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालयों (मैदानी कार्यालय) में रखे जाने वाले अभिलेख

- (1) आबकारी की फृटकर दुकानों के ठेकों से संबंधित अभिलेख
- (2) आसवनी एवं बॉटलिंग इकाईयों के लिए मुख्यालय से जारी किए गए अनुज्ञापनों के अन्तर्गत जिलों में स्थित इकाईयों से संबंधित अभिलेख
- (3) न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित अभिलेख
- (4) स्थापना शाखा में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेख
- (5) समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावलियों से संबंधित अभिलेख
- (6) अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जाँच प्रकरणों से संबंधित अभिलेख
- (7) अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों से संबंधित जाँच संबंधी अभिलेख
- (8) स्टोर, स्टेशनरी एवं भण्डार क्रय एवं प्रदाय से संबंधित अभिलेख
- (9) शासकीय वाहनों का रख—रखाव एवं अन्य कार्यालयीन उपकरणों के क्रय व रख—रखाव से संबंधित अभिलेख एवं वाहन की लागबुक
- (10) बजट निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण तथा मुख्यालय से प्राप्त बजट आबंटन संबंधी अभिलेख
- (11) आडिट संबंधित अभिलेख
- (12) अधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले वेतन एवं अन्य भत्तों एवं अग्रिम धनों के भुगतान से संबंधित देयकों से संबंधित अभिलेख

- (13) समस्त व्यय की गई राशियों के लिए मासिक व्यय विवरणी से संबंधित अभिलेख
- (14) सांख्यिकी से संबंधित समस्त जानकारी (आय, खपत, उपलंभन आदि) से संबंधित अभिलेख एवं मासिक पत्रकों की तैयारी व प्रेषण
- (15) कार्यालय, वृत, भांडागार, आसवनी, बॉटलिंग यूनिटों के निरीक्षणों से संबंधित निरीक्षण टीपें
- (16) आबकारी अपराधों एवं विभागीय लायसेंसियों द्वारा किए गए अपराध के लिए अपराध घटना पंजी पी-14 का संधारण एवं रख-रखाव तथा विभागीय प्रकरणों की नस्तियाँ

(iv) जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) के कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेख :-

क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संधारित अभिलेखों का नाम	उपयोग का प्रकार
1.	डी-1	आसवनी अनुज्ञप्ति	आसवनी में स्प्रिट उत्पादन हेतु राज्य शासन के अनुमोदन के अध्यधीन आबकारी आयुक्त द्वारा जारी अनुज्ञप्ति
2.	सी.एस.1	देशीमदिरा प्रदाय अनुज्ञप्ति	आसवनी से स्प्रिट प्रदाय हेतु राज्य शासन के अनुमोदन के अध्यधीन आबकारी आयुक्त द्वारा जारी अनुज्ञप्ति
3.	सी.एस.1ख	देशी मदिरा की बॉटलिंग अनुज्ञप्ति	आसवनी परिसर स्थित विनिर्माण भांडागार में देशी मदिरा की बॉटलिंग, लेबलिंग, सीलिंग आदि कर, मास्टर कॉर्टन पैक में प्रदाय क्षेत्र के भण्डारण भांडागार को सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा के प्रदाय हेतु अनुज्ञप्ति
4.	डी-3	गेजिंग चार्ट	प्लान्ट में स्थापित फार्मन्चेशन टैंक की मात्रा ज्ञात करने हेतु।
5.	डी-4	गेजिंग चार्ट	स्प्रिट रूम में स्थापित रिसीवर एण्ड व्हेट स्टोरेज में स्प्रिट की मात्रा ज्ञात करने हेतु।
6.	डी-5	रजिस्टर	कच्चे माल की आमद एवं खपत की जानकारी हेतु
7.	डी-6	फार्म	स्प्रिट उत्पादन हेतु उपयोग में लाये गये कच्चे माल की मात्रा एवं उससे तैयार वाश की घोषणा हेतु
8.	डी-7	फार्म	स्प्रिट उत्पादन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले पात्र एवं स्प्रिट प्राप्ति की सूचना हेतु
9.	डी-8	रजिस्टर	डी-6, डी-7 एवं स्प्रिट उत्पादन प्रक्रिया की सर्वे डायरी
10.	डी-9	रजिस्टर	स्प्रिट उत्पादन की प्राप्ति का लेखा-जोखा रखने हेतु
11.	डी-10	रजिस्टर	व्हेट में रखी मदिरा का लेखा रजिस्टर
12.	डी-11	रजिस्टर	स्प्रिट स्टॉक रजिस्टर
13.	डी-14	फार्म	स्प्रिट प्रदाय हेतु आवेदन पत्र
14.	सी.एस.5	फार्म	मद्य भांडागारों को स्प्रिट प्रदाय हेतु आसवनी प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी परमिट
15.	डी-16	लॉग टिकिट बुक	स्प्रिट रूम में लगे राजस्व ताले बन्द एवं खुलने में लगने वाले टिकिट

16.	डी-17	रजिस्टर	स्प्रिट प्रदाय के विवरण की जानकारी हेतु
17.	डी-18	रजिस्टर	मद्य भांडागारों में दैनिक स्प्रिट प्रदाय की जानकारी हेतु
18.	डी-19	रजिस्टर	स्प्रिट आयात का लेखा-जोखा रखने हेतु
19.	डी-20	फार्म	मद्य भांडागारों को मदिरा प्रदाय का मासिक पत्रक
20.	डी-21	रजिस्टर	मदिरा संग्रह कक्ष प्रभारी अधिकारी की दैनंदिनी
21.	डी-22	फार्म	स्प्रिट उत्पादन एवं प्रदाय का त्रैमासिक पत्रक
22.	डी-23	फार्म	स्प्रिट उत्पादन एवं प्रदाय का मासिक पत्रक
23.	डी-25 व 26	रजिस्टर	आसवनी में कार्यरत आबकारी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा आसवनी के कर्मचारियों / श्रमिकों के विवरण हेतु
24.	आर.एस.2	फार्म	स्प्रिट आयात परमिट
25.	आर.एस.3	फार्म	स्प्रिट निर्यात परमिट
26.	एफ.एल.14	फार्म	एफ.एल.9 इकाई को स्प्रिट प्रदाय परमिट
27.	पी-1	रजिस्टर	पत्र व्यवहार रजिस्टर

(v) विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में रखे जाने वाले अभिलेख

क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संधारित अभिलेखों का नाम	उपयोग का प्रकार
1.	एफ.एल.9	विदेशी मदिरा भराई अनुज्ञाप्ति	विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में उत्पादन, बॉटलिंग हेतु राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा जारी अनुज्ञाप्ति
2.	एफ.एल.9क	विदेशी मदिरा विशेष बोतल भराई अनुज्ञाप्ति	विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में अन्य विनिर्माता कम्पनियों की विदेशी मदिरा की बॉटलिंग फैन्चाईसी व्यवस्था के अन्तर्गत करने हेतु राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा जारी अनुज्ञाप्ति
3.	डी-4	गेजिंग चार्ट	इकाई में स्थापित व्हेट में संग्रहित ब्लैण्ड मदिरा व ई.एन.ए. मदिरा की मात्रा ज्ञात करने हेतु।
4.	—	उत्पादन रजिस्टर	बॉटलिंग इकाई में बॉटलिंग किए गए ब्राण्ड/लेबल वार पेटियों की दिवस वार जानकारी
5.	—	प्रदाय पंजी	इकाई के एफ.एल.9 गोदाम में संग्रहित विदेशी मदिरा का गोदाम से प्रदाय की जानकारी
6.	डी-10	व्हेट पंजी	इकाई में स्थापित ब्लैण्डिंग व्हेट तथा ई.एन.ए. स्टोरेज व्हेट में ब्लैण्ड तथा ई.एन.ए. का लेखा रजिस्टर
7.	डी-11	रजिस्टर	स्प्रिट एवं ब्लैण्ड लेखा रजिस्टर
8.	डी-12	रजिस्टर	प्रतिदिन उत्पादन विवरण रजिस्टर
9.	एफ.एल.15	फार्म	राज्य में विदेशी मदिरा परिवहन किए जाने हेतु परिवहन अनुज्ञा पत्र
10.	डी-16	लॉक टिकिट बुक	इकाई में लगे राजस्व तालों को बंद करने एवं खोलने में लगने वाले लॉक टिकिट बुक
11.	डी-19	रजिस्टर	ई.एन.ए./स्प्रिट आयात का लेखा-जोखा का विवरण
12.	डी-21	रजिस्टर	प्रभारी अधिकारी बॉटलिंग इकाई की दैनंदिनी
13.	एफ.एल.22	फार्म	बंध-पत्र के अधीन विदेशी मदिरा के निर्यात के लिए अनुज्ञा-पत्र

14.	एफ.एल.23	फार्म	विदेशी मदिरा के निर्यात के लिए निष्पादित किया जाने वाला बंध—पत्र
15.	—	रजिस्टर	इकाई से निर्यात की जाने वाली विदेशी मदिरा का ब्राण्ड / लेबल वार लेखा संधारण
16.	—	रजिस्टर	इकाई से निर्यात की गई विदेशी मदिरा का गंतव्य स्थान पर प्राप्त होने के लिए सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने एवं विवरण रखने की पंजी
17.	पी—1	रजिस्टर	पत्र व्यवहार पंजी
18.	एच.जी. 5	रजिस्टर	होलोग्राम की प्राप्ति का लेखा
19.	एच.जी. 6	रजिस्टर	मदिरा बॉटलिंग पश्चात् बोतलों में चस्पा करने हेतु उपयोग में लाए गए, विकृत / नष्ट हुए होलोग्राम का लेखा
20.	एच.जी. 7	फार्म	होलोग्राम प्राप्ति, उपयोग, शेष स्कन्ध एवं विकृत / नष्ट हुए होलोग्राम संबंधी साप्ताहिक पत्रक
21.	—	रजिस्टर	बॉटलिंग इकाई से परिवहन की जाने वाली विदेशी मदिरा के लिए परमिट पंजी

(vi) विनिर्माण भांडागारों / भण्डारण भांडागारों में रखे जाने वाले अभिलेख

क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संधारित अभिलेखों का नाम	उपयोग का प्रकार
1.	डी—12	रजिस्टर	देशी मदिरा की सीलबंद बोतलों की आमद, प्रदाय एवं बचत का लेखा रखने हेतु
2.	डी—16	रजिस्टर (बुक)	भांडागारों में राजस्व ताले लगाने एवं खोलने के लिए लॉक टिकिट बुक
3.	डी—17	रजिस्टर	सीलबंद देशी मदिरा बोतलों के प्रदाय की पंजी
4.	डी—18	रजिस्टर	सीलबंद देशी मदिरा बोतलों को दुकानवार प्रदाय की पंजी
5.	डी—21	रजिस्टर	भांडागार अधिकारी की दैनंदिनी
6.	डी—24 (Part I & II)	फार्म	देशी मदिरा दुकानों को प्रदाय की गई मदिरा की जानकारी का मासिक पत्रक
7.	डी—25	रजिस्टर	देशी मदिरा प्रदायकर्ता की ओर से कार्यरत स्थाई कर्मचारियों / श्रमिकों का मजदूरी रजिस्टर
8.	डी—26	रजिस्टर	देशी मदिरा प्रदायकर्ता की ओर से कार्यरत अस्थाई श्रमिकों का मजदूरी रजिस्टर
9.	एच.डी. 26	रजिस्टर	भांग दुकानों को प्रदाय की गई भांग का लेखा रजिस्टर
10.	जी—2	रजिस्टर	देशी / विदेशी मदिरा, भांग की फुटकर दुकानों की लायसेंस फीस की मांग एवं वसूली का रजिस्टर
11.	ओ.एफ. 7	रजिस्टर	भांडागारों में उपलब्ध सामग्रियों का रजिस्टर
12.	ओ.एफ. 9	रजिस्टर	भांडागारों में उपलब्ध अभिलेखों के निरसन का रजिस्टर
13.	पी—1	रजिस्टर	पत्र व्यवहार का रजिस्टर (पत्रों का आवक—जावक)
14.	—	रजिस्टर	देशी मदिरा के फुटकर लायसेंसियों को प्रदाय की गई देशी मदिरा पर आय कर वसूली का रजिस्टर

15.	—	रजिस्टर	देशी मदिरा दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं उसके विरुद्ध उठाई गई मदिरा का लेखा रजिस्टर
16.	एच.जी. 5	रजिस्टर	होलोग्राम की प्राप्ति का लेखा
17.	एच.जी. 6	रजिस्टर	मदिरा बॉटलिंग पश्चात् बोतलों में चर्स्पा करने हेतु उपयोग में लाए गए, विकृत / नष्ट हुए होलोग्राम का लेखा
18.	एच.जी. 7	फार्म	होलोग्राम प्राप्ति, उपयोग, शेष स्कन्ध एवं विकृत / नष्ट हुए होलोग्राम संबंधी साप्ताहिक पत्रक
19.	—	रजिस्टर	मदिरा बोतलों पर लगाए जाने वाले ढक्कनों एवं लेबलों का लेखा रजिस्टर

(vii) जिले के आबकारी वृत्त कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेख

क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संधारित अभिलेखों का नाम	उपयोग का प्रकार
1.	पी-1	रजिस्टर	पत्र व्यवहार पंजी (पत्रों का आवक एवं जावक)
2.	पी-2	फार्म	आबकारी वृत्त उप-निरीक्षक की पाक्षिक दैनंदिनी
3.	पी-3	रजिस्टर	आबकारी वृत्त उप-निरीक्षक की भ्रमण पंजी
4.	पी-4	फार्म	आबकारी वृत्त उप-निरीक्षक द्वारा माह में किए गए निरीक्षण एवं भ्रमण की जानकारी का मासिक पत्रक
5.	पी-5	रजिस्टर	आबकारी दुकानों के लाभ-हानि के मूल्यांकन का रजिस्टर
6.	पी-6	रजिस्टर	आबकारी वृत्तों के क्षेत्राधिकार स्थित ग्रामों के लिए ग्रामवार इतिहास का रजिस्टर
7.	पी-7	रजिस्टर	आबकारी वृत्तों में आबकारी उप-निरीक्षक को अपराधों की प्राप्ति सूचना का रजिस्टर
8.	पी-8	फार्म	आबकारी वृत्तों में दर्ज किए गए प्रकरणों के लिए अपराध एवं घटना रिपोर्ट का फार्म
9.	पी-9	फार्म	अपराधिक प्रकरणों में जप्त मदिरा व अन्य सामग्री की जप्ती का फार्म
10.	पी-10	फार्म	आबकारी प्रकरणों में जप्त मुद्देमाल का फार्म, जो चालान के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है
11.	पी-11	फार्म	आबकारी प्रकरणों में अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद पत्र (अभियोजन) न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है
12.	पी-12	फार्म	अपराधिक प्रकरणों में पारित निर्णयों के लिए रिजल्ट स्लिप फार्म
13.	पी-13	फार्म	देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, भांग, पॉपीस्ट्रा दुकानों एवं अन्य अनुज्ञाप्तियों के निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं हेतु लायसेंसी को दिया जाने वाला आरोप-पत्र
14.	पी-14	रजिस्टर	वृत्तों में कायम किए गए प्रकरणों को जिला कार्यालय में दर्ज करने के लिए अपराध एवं घटना रजिस्टर
15.	पी-15	फार्म	विभागीय प्रकरणों में आरोपित संधानराशि / शास्ति की सूचना देने का फार्म
16.	पी-16	फार्म	अपराधिक प्रकरणों में मुलजिम को जमानत देने के लिए जमानत मुचलका फार्म
17.	पी-26	रजिस्टर	इनाम वितरण रजिस्टर

18.	जी-2	रजिस्टर	देशी/विदेशी मंदिरा, भांग एवं पॉपीस्ट्रा पी.एस.2 की दुकानों की लायसेंस फीस की मांग एवं वसूली का रजिस्टर
19.	—	अभियोजन रजिस्टर	न्यायालयीन प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन रजिस्टर
20.	ओ.एफ. 7	रजिस्टर	वृत्तों में उपलब्ध सामग्रियों का रजिस्टर
21.	ओ.एफ. 9	रजिस्टर	वृत्तों में उपलब्ध अभिलेखों के निरसन का रजिस्टर
22.	—	रजिस्टर	देशी मंदिरा एवं विदेशी मंदिरा दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं उसके विरुद्ध उठाई गई मंदिरा का लेखा रजिस्टर
21.	—	रजिस्टर	आबकारी पुरानी बकाया एवं वसूली का रजिस्टर

(vii) संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/स्थानीय निकाय/जन-भागीदारी का नीति निर्धारण या नीतियों के क्रियान्वयन में योगदान/भागीदारी (consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration)

(1) नियमों के अन्तर्गत गठित आबकारी सलाहकार समिति का मुख्य उद्देश्य देशी मंदिरा और विदेशी मंदिरा व अन्य मादक औषधियों की दुकानों को खोलने एवं मंदिरा विक्रय के लिए आबकारी दुकानों की संख्या और क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में उनके वितरण के सम्बन्ध में सलाह मशविरा करना एवं समिति की राय लेना है। वर्तमान में स्थित मंदिरा की किसी दुकान को बंद करना है या दुकानों के स्थान परिवर्तन का कोई प्रस्ताव हो तो ऐसे प्रस्तावों पर राय-मशविरा किया जाता है तथा कलेक्टर द्वारा समिति की राय के साथ जिले का पूर्ण प्रतिवेदन भेजा जाता है, जिस पर शासन द्वारा आगामी वर्ष के लिए नीति विषयक निर्णय लिया जाता है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत निर्भित नियमों के खण्ड (ब) में आबकारी सलाहकार समिति के गठन और कार्य सम्बन्धी नियम प्रावधानित हैं, जिसके नियम-1 में नगरपालिका और छावनी (कन्टोनमेन्ट) क्षेत्र में सलाहकार समितियों का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों का समावेश होता है :—

(अ)	कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर नियुक्त डिप्टी कलेक्टर		—	पदेन सभापति
(ब)	जिला पुलिस अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समय-समय पर नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी, जो मण्डल निरीक्षक के स्तर से कम स्तर का न हो		—	सदस्य
(स)	नगर पालिका समिति द्वारा चुने हुए क्षेत्र की नगर पालिका परिषद के चार सदस्य		—	सदस्य
(द)	(i)	अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि, और	—	सदस्य
		मादक द्रव्य के व्यापारियों के प्रतिनिधि, जो दो से अधिक न हों, जो कलेक्टर द्वारा नामजद किए जायेंगे, यदि वह विचार करता है कि खण्ड (स) के अन्तर्गत चुने हुए सदस्य ऐसी जाति या व्यापारी का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते, और	—	सदस्य
(ड)	जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/उपायुक्त आबकारी या उसकी अनुपस्थिति में सहायक जिला आबकारी अधिकारी		—	पदेन सचिव

(2) नगर पालिका समिति में चुने हुए प्रतिनिधियों में से खण्ड (स) के अनुसार चार सदस्य प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होंगे तथा "चुना गया कोई सदस्य (प्रतिनिधि), नगरपालिका समिति के सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता की अवधि तक सलाहकार समिति का सदस्य रहेगा या जब तक सलाहकार समिति में उसके उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो जाता, रहेगा, परन्तु शर्त यह है कि, उस समिति में अपनी सदस्यता की अवधि के समाप्त होने के कारण के अतिरिक्त अन्य किसी कारण के बह नगर पालिका की सदस्यता से वंचित होता है, तो वह सलाहकार समिति की सदस्यता से भी वंचित हो जायेगा।"

(3) ग्रामीण सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान नियम-3 में है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सलाहकार समितियों का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों का समावेश होता है :—

(अ)	कलेक्टर या समय—समय पर कलेक्टर द्वारा नियुक्त डिप्टी कलेक्टर			—	पदेन सभापति	
(ब)	जिला पुलिस अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समय—समय पर नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी, जो मण्डल निरीक्षक के स्तर से कम स्तर का न हो			—	सदस्य	
(स)	जिले में प्रत्येक जनपद सभा द्वारा चुने हुए दो सदस्य या ऐसे क्षेत्र में प्रभावशील किसी कानून के अन्तर्गत जिले में गठित अन्य इसी प्रकार के स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चुने गए दो सदस्य			—	सदस्य	
(द)	(i)	अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि, और			—	सदस्य
		मादक द्रव्यों के व्यापारियों के दो से अधिक प्रतिनिधि, और			—	सदस्य
		आदिम जनजाति के प्रतिनिधि, जो दो से अधिक न हों, जो कलेक्टर द्वारा नामजद किए जायेंगे, यदि वह विचार करता है कि, खण्ड (स) के अन्तर्गत चुने गए सदस्य ऐसी जाति, व्यापारी या जनजाति का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते, और			—	सदस्य
(ड)	जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/उपायुक्त आबकारी या उसकी अनुपस्थिति में सहायक जिला आबकारी अधिकारी			—	पदेन सचिव	

(4) शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस बैठक में गठित समिति के सदस्यों के अतिरिक्त माननीय सांसद एवं माननीय विधायकों को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है और इस बैठक में आगामी वर्ष के लिये ठेकों की व्यवस्था के संबंध में मत लेकर अध्यक्ष/कलेक्टर अपने अभिमत के साथ प्रस्ताव आबकारी आयुक्त को भेजते हैं। इस तरह सर्व जन—भागीदारी के उपरांत ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए देशी/विदेशी मदिरा, भांग के फुटकर लायसेंसों तथा पॉपीस्ट्रा के थोक लायसेंसों की व्यवस्था संबंधी नीति पर शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्णय लिया जाता है।

(viii) समितियों का गठन एवं उनकी कार्यप्रणाली (boards, councils, committees and other bodies) :-

आबकारी विभाग के लिए प्रभावशील नहीं है।

(ix) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विवरणिका (directory of its officers and employees):—

आबकारी विभाग के अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं दूरभाष के नंबरों की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	कार्यालय/ जिला	अधिकारी—कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	दूरभाष क्रमांक
1	2	3	4
1	कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर	श्री निरंजन दास (भा.प्र.से.) आबकारी आयुक्त	0771-2512612
2		श्री राकेश कुमार मण्डावी, अपर आयुक्त आबकारी	0771-2512610
3		श्री आर.एस. ठाकुर, अपर आयुक्त आबकारी	0771-2512611
4		श्री आशीष श्रीवास्तव, उपायुक्त आबकारी मुख्यालय एवं राज्यस्तरीय उड़नदर्स्ता	-
5		श्री पी.एल. साहू, उपायुक्त आबकारी	-
6		श्री नीरज मिश्रा, संयुक्त संचालक (वित्त)	0771-2512609
7	संउद रायपुर संभाग	श्री सोहन लाल पवार, उपायुक्त आबकारी	0771-2972380
8	संउद बिलासपुर संभाग	श्री संजय पारीक, उपायुक्त आबकारी	07752-291560
9	संउद बस्तर संभाग	श्री जी.के. भगत, उपायुक्त आबकारी	07782-231040
10	संउद दुर्ग संभाग	श्री एस.एन. साहू जिला आबकारी अधिकारी	-
11	संउद सरगुजा संभाग	श्री प्रवीण वर्मा,, जिला आबकारी अधिकारी	-
12	रायपुर	श्री अरविन्द कुमार पाटले, उपायुक्त आबकारी	0771-2426188
13	बलौदाबाजार	श्री अश्वनी कुमार अनंत, जिला आबकारी अधिकारी	07727-222777
14	गरियाबंद	श्री प्रमोद कुमार नेताम, सहायक आयुक्त आबकारी	07706-241324
15	महासमुंद	श्री दिनकर वासनिक, जिला आबकारी अधिकारी	07723-223316
16	धमतरी	श्री मोहित कुमार जायसवाल, जिला आबकारी अधिकारी	07722-232300
17	दुर्ग	श्री नोहर सिंह ठाकुर, सहायक आयुक्त आबकारी	0788-2323769

18	बालोद	श्री अशोक कुमार सिंह प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी	07749-223910
19	बेमेतरा	श्री देवलाल वैद्य, जिला आबकारी अधिकारी	07824-222038
20	राजनांदगांव	श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर, सहायक आयुक्त आबकारी	07744-224078
21	कबीरधाम	श्री ए.के. सिंह, जिला आबकारी अधिकारी	07741-232227
22	बिलासपुर	श्रीमती नीतू नोतानी ठाकूर, उपायुक्त आबकारी	07752-232080
23	मुंगेली	श्री वेदराम लहरे, सहायक आयुक्त आबकारी	07755-264118
24	जांजगीर चांपा	श्री विजय सेन शर्मा, सहायक आयुक्त आबकारी	07817-222653
25	रायगढ़	श्रीमती मंजूश्री कसेर, जिला आबकारी अधिकारी	07762-222733
26	कोरबा	श्री गंभीर सिंह नुरुल्टी सहायक आयुक्त आबकारी	07759-224565
27	सरगुजा	श्री पीलूलाल नायक, जिला आबकारी अधिकारी	07774-222713
28	बलरामपुर	श्री अलेख राम सिदार, जिला आबकारी अधिकारी	07831-273110
29	सूरजपुर	श्री रामकृष्ण मिश्रा, जिला आबकारी अधिकारी,	07775-205213
30	जशपुर	श्री विकास कुमार गोस्वामी, प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी	07763-220327
31	कोरिया	श्री प्रकाश पाल, जिला आबकारी अधिकारी	07836-232541
32	बस्तर	श्री आशीष कोसम, (अतिरिक्त प्रभार) सहायक आयुक्त आबकारी	07782-222457
33	नारायणपुर	श्री आर.के. तारम, जिला आबकारी अधिकारी	07781-252215
34	उ.ब. कांकेर	श्री जयलाल मरकाम, जिला आबकारी अधिकारी	07868-241301
35	द.ब. दंतेवड़ा	श्री बसंत कुमार अंधारे, जिला आबकारी अधिकारी	07856-252457
36	कोणडागांव	श्री आशीष कोसम, जिला आबकारी अधिकारी	07786-242181
37	सुकमा	श्री विष्णु साहू (परी.), जिला आबकारी अधिकारी	07864-284055
38	बीजापुर	श्री नवनीत तिवारी (परी.), जिला आबकारी अधिकारी	07853-220012
39	छत्तीसगढ़ स्टेट बैवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड	श्री प्रभाकर शर्मा, गोदाम प्रभारी, सिलतरा, रायपुर	-
40		श्री जेठूराम मन्डार्वी, गोदाम प्रभारी, लिंगियाडीह, बिलासपुर	

(x) अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन एवं क्षतिपूर्ति (monthly remuneration received by each of its officers and employees) :-

आबकारी आयुक्त कार्यालय (विभागाध्यक्ष स्तर) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके पद के लिए निर्धारित वेतनमान में देय मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्तों के साथ भुगतान किया जाता है। विभाग में अभी तक क्षतिपूर्ति विषयक कोई विधान नहीं है। मैदानी कार्यालय अर्थात् उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी संभाग/जिले में संधारित रहती है। मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन की जानकारी निम्नानुसार है :—

अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन एवं क्षतिपूर्ति

(Monthly remuneration received by each of its officers and employees)

(01.11.2020 की स्थिति में)

क्र.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पै-स्केल	मूल वेतन	दिनांक
					01.11.2020 का वेतन (समस्त भत्तों सहित)
1	2	3	4	5	6
1	श्री राकेश कुमार मण्डावी	अपर आयुक्त आबकारी	118500-214100	125800	145043
2	श्री राय सिंह ठाकुर	अपर आयुक्त आबकारी	118500-214100	125800	140971
3	श्री आषीष श्रीवास्तव	उपायुक्त आबकारी	79900-211700	101200	116966
4	श्री पी.एल. साहू	उपायुक्त आबकारी	79900-211700	101200	116759
5	श्री नीरज कुमार मिश्रा	संयुक्त संचालक (वित्त)	79900-211700	92600	106904
6	श्री प्रवीण वर्मा	जिला आबकारी अधिकारी	38100-120400	61300	70201
7	श्री देव नाथ साय	जिला आबकारी अधिकारी	79800-211500	73200	83753
8	श्री संजीव कुमार	जिला आबकारी अधिकारी	56100-177500	70700	81956
9	श्रीमती रत्न राज लक्ष्मी शर्मा	सहायक लेखा अधिकारी	38100-120400	44100	51009
10	श्री जगमोहन मरकाम	सहायक लेखा अधिकारी	38100-120400	38100	44200
11	श्री दीन दयाल पटेल	आबकारी उपनिरीक्षक	28700-91300	41000	46974
12	श्री जनार्दन सिंह कौरव	आबकारी उपनिरीक्षक	28700-91300	46800	54316
13	श्रीमती सरला गौतम	अधीक्षक	43200-136500	61000	70781
14	कु. कमला चौधरी	सहायक अधीक्षक	43200-136500	52000	60408
15	कु. सरिता शर्मा	मुख्य लिपिक	28700-91300	47500	55429
16	श्री सलीम खान	मुख्य लिपिक	28700-91300	44900	50813
17	श्रीमती साधना तुली	लेखापाल	28700-91300	36200	42328
18	श्री नीलम कुमार खलखो	लेखापाल	28700-91300	28500	33655
19	श्रीमती आराधना साहू	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	28700-91300	40400	47782
20	कु. प्रमिला भगत	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	28700-91300	36400	42552
21	कु. रोशनी वाद्यक	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	28700-91300	28700	33874
22	श्रीमती शुभांगी मेश्राम	सहायक ग्रेड-2	28700-91300	33100	38874
23	श्री श्रीजिष पिल्लई	सहायक ग्रेड-2	25300-80500	29400	34420

24	श्री नवाब मेंहदी असर उस्मानी	सहायक ग्रेड-2	25300-80500	28500	33583
25	श्री राहुल सिंह बघेल	सहायक ग्रेड-2	25300-80500	19500	23123
26	श्री शशांक बर्वे	सहायक ग्रेड-2	25300-80500	25300	29519
27	श्री रामकुमार बघेल	सहायक ग्रेड-3	28700-91300	32200	37614
28	श्रीमती सरस्वती गहरवाल	सहायक ग्रेड-3	28700-91300	27800	32215
29	श्री सुशील चन्द्राकर	सहायक ग्रेड-3	19500-62000	26200	30580
30	श्री ललित कुमार चंद्रवंशी	सहायक ग्रेड-3	19500-62000	19500	23023
31	श्री गोपेन्द्र कुमार छिदईया	सहायक ग्रेड-3	19500-62000	19500	22923
32	श्री पी.के.तम्बोली	स्टेनो टायपिस्ट	28700-91300	46100	54046
33	श्री राजेश कुमार घरडे	स्टेनो टायपिस्ट	25300-80500	24700	29194
34	श्री लीलाधर निषाद	स्टेनो टायपिस्ट	25300-80500	24700	29194
35	श्री रामदास अनंत	आबकारी मुख्य आरक्षक	28700-91300	44800	52108
36	श्री कन्हैया लाल कुरें	आबकारी मुख्य आरक्षक	28700-91300	44800	51907
37	श्री शंकर लाल ध्रुव	आबकारी आरक्षक	28700-91300	44800	52119
38	श्री विजय वर्मा	आबकारी आरक्षक	28700-91300	27800	32481
39	कु. चित्तेश्वरी ध्रुव	आबकारी आरक्षक	25300-80500	24700	28900
40	श्री सुमीत शर्मा	आबकारी आरक्षक	25300-80500	24700	28700
41	श्री राजेश कुमार यादव	आबकारी आरक्षक	28700-91300	27800	32281
42	श्री मंसूर खान	वाहन चालक	25300-80500	44800	54013
43	श्री महावीर ध्रुव	वाहन चालक	25300-80500	35100	39762
44	श्री संतोष राम कहरा	वाहन चालक	19500-62000	27800	32750
45	श्री अनिल कुमार गिधौडे	वाहन चालक	19500-62000	23300	26546
46	श्री सेवाराम नेताम	वाहन चालक	19500-62000	25400	28898
47	श्री इन्द्रजीत साहू	वाहन चालक	19500-62000	23300	27576
48	श्री विकास ठाकुर	वाहन चालक	19500-62000	25400	29779
49	श्री चरण सिंह लेडिया	वाहन चालक	19500-62000	23300	27576
50	श्री ढेलू राम ढीवर	वाहन चालक	19500-62000	25400	29779
51	श्री भरतलाल साहू	वाहन चालक	19500-62000	25400	28898
52	श्री शिव कुमार साहू	वाहन चालक	19500-62000	23300	27576
53	श्री अशोक यादव	वाहन चालक	19500-62000	23300	27376
54	श्री प्रकाश राव	वाहन चालक	19500-62000	23300	27376
55	श्री नोहरलाल साहू	वाहन चालक	19500-62000	23300	27576
56	श्री गिरधारी लाल साहू	वाहन चालक	19500-62000	23300	27376
57	श्रीमती सरस्वती चंद्रवंशी	भृत्या	16100-50900	17100	20107
58	श्रीमती रजनी प्रेमी	भृत्या	16100-50900	15600	18427
59	श्री मोहनलाल बघेल	भृत्य	16100-50900	22200	25985
60	श्री शिव प्रसाद	भृत्य	16100-50900	22200	26085
61	श्री विवक कुमार राजवाडे	भृत्य	16100-50900	19200	22637
62	श्री संजय राम सा	भृत्य	16100-50900	18600	21945
63	श्री मनीष मुण्डा	भृत्य	16100-50900	18100	21265

64	श्री गंगाराम उर्वशा	भूत्य	16100-50900	18100	21365
65	श्री माधो सिंह	भूत्य	16100-50900	17600	20486
66	श्री कपील रावत	भूत्य	16100-50900	16600	19347
67	श्री संदीप शुक्ला	भूत्य	16100-50900	15600	18227
68	श्री राजेश कवर	भूत्य	16100-50900	15600	18227
69	श्री उज्ज्वल राम राठिया	फर्रश	18000-56900	31500	36733

(xi) बजट (budget allocation) :-

आबकारी विभाग नॉन-प्लान विभाग है। अतः इसका बजट केवल विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, भत्ता तथा कतिपय खरीदियों से संबंधित होता है, जो योजनान्तर्गत नहीं होता है। वर्ष 2020-21 के लिए राज्य शासन द्वारा आबकारी विभाग के लिए स्वीकृत बजट आबंटन निम्नानुसार है :—

कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के लिये वर्ष 2021-21 हेतु विभिन्न योजनाओं में बजट आबंटन की जानकारी

उद्देश्य शीर्ष		राशि हजार रूपये में
1		2
योजना 122 अधीक्षण		
01—वेतन ,भत्ते आदि	001—वेतन	37600
	003—महंगाई भत्ता	5000
	006—मकान किराया भत्ता	2000
	008—नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	100
	012—वाहन भत्ता	100
	014—अन्य भत्ते	450
	015—चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता	700
	020—त्यौहार अग्रिम	200
	024—चिकित्सा अग्रिम	100
	योग 01 वेतन भत्ते आदि	46250
02 मजदूरी	004 अन्य आकस्मिक मजदूरी	10
03 यात्रा भत्ता	01 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	1500
	002 यात्रा भत्ता स्थानांतरण पर	100
	योग 03 यात्रा भत्ता आदि	1600
04 कार्यालय व्यय	001 डाक तार व्यय	30
	002 दूरभाष व्यय	200
	003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	700
	004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएँ	20
	005 बिजली एवं जल प्रभार	10
	006 वर्दियां	100
	007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	500
	008 अन्य आकस्मिक व्यय	500

	009 सूचना प्रौद्योगिकी	9000
	011 पेट्रोल तेल आदि	2000
	013 किराया महसुल और कर	1
	योग 04 कार्यालय व्यय	13061
05 प्रशिक्षण	1 अधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण	300
	योग 05 प्रशिक्षण	300
10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां	008 शासकीय अभिभाषकों को फीस	300
	009 विशेष सेवाओं हतु व्यय	3000
	010	100
	011	1000
	योग 10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां	4400
14 सहायक अनुदान	012 अन्य अनुदान	100000
	योग 15 डिक्री धन का भुगतान (भारित)	5
24 अनुरक्षण कार्य	001 मोटर गाड़ी	500
	002 मशीन तथा उपकरण	400
	योग 24 अनुरक्षण कार्य	900
25 सामग्री और पूर्तियां	003 मुद्रण के लिए कागज(होलोग्राम)	320000
	योग 25 सामग्री और पूर्तियां	320000
	89 परिवहन व्यय	1000
	योग योजना – (122)	487526
	योजना 1470 जिला कार्यपालिक स्थापना	
01—वेतन ,भत्ते आदि	001—वेतन	527600
	003—महंगाई भत्ता	72000
	005—आदिवासी क्षेत्र भत्ता	2300
	006—मकान किराया भत्ता	19000
	008—नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	400
	012—वाहन भत्ता	500
	014—अन्य भत्ते	5000
	015—चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता	5000
	020—त्यौहार अग्रिम	2000
	024—चिकित्सा अग्रिम	250
	योग 01 वेतन भत्ते आदि	634050
03 यात्रा भत्ता	01 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	2000
	002 यात्रा भत्ता सीनांनतरण पर	1000
	006 अवकाश यात्रा सुविधा	100
	योग 03 यात्रा भत्ता आदि	3100
04 कार्यालय व्यय	001 डाक तार व्यय	300
	002 दूरभाष व्यय	800
	003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	4000
	004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	300
	005 बिजली एवं जल प्रभार	2200
	006 वर्दियां	2500

	007 लेखन सामग्री एवं फार्म की छपाई	3500
	008 अन्य आकस्मिक व्यय	2000
	009 सूचना प्रौद्योगिकी	2500
	011 पेट्रोल तेल आदि	8800
	013 किराया महसुल और कर	3000
	योग 04 कार्यालय व्यय	29900
10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां	010 सुरक्षा व्यय	200
	011 सफाई व्यवस्था	1000
	योग 10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां	1200
	योग 15 डिक्री धन का भुगतान (भारित)	500
18 पारितोषिक		200
	योग 18 पारितोषिक	200
24 अनुरक्षण कार्य	001 मोटर गाड़ी	2500
	002 मशीन तथा उपकरण	1100
	योग 24 अनुरक्षण कार्य	3600
रु 27 लघु निर्माण कार्य	006 अन्य लघु निर्माण कार्य	500
रु 28 मशीन और उपकरण	006 अन्य	1
	योग योजना – (1470)	673051
	योजना 6734 विभागीय रासायनिक प्रयोगशाला	
01—वेतन ,भत्ते आदि	001—वेतन	1000
	003—महंगाई भत्ता	200
	006— मकान किराया भत्ता	60
	008— नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	10
	014—अन्य भत्ते	40
	015—चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता	20
	026 नियमित कार्यभारित /आकस्मिकता स्थापना	70
	योग 01 वेतन भत्ते आदि	1400
04 कार्यालय व्यय	003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	200
	योग 04 कार्यालय व्यय	200
रु 10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगी	010 सुरक्षा व्यय	200
	011 सफाई व्यवस्था	200
	योग 10 यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगी	400
25 सामग्री और पूर्तियां	006 अन्य व्यय	200
	योग 25 सामग्री और पूर्तियां	200
रु 28 मशीन और उपकरण		10
	योग योजना – 6734	2210
	योजना 7849 राज्य मार्केटिंग कार्पोरेशन	
25 सामग्री और पूर्तियां	006 अन्य व्यय	10

योग 25 सामग्री और पूर्तियां		10
योग योजना – 7849		10
योजना 1111 आबकारी सामग्री की खरीद		
25 सामग्री और पूर्तियां	001 भंडार तथा कच्चा माल	1500
योग योजना 1111		1500
योजना 8629 मल्टीप्लैक्सों को अनुदान		
14 सहायक अनुदान	012 अन्य अनुदान	30000
योग योजना 8629		30000
योजना 4173 स्प्रिट का क्रय		
25 सामग्री और पूर्तियां	001 भंडार तथा कच्चा माल	10
योग योजना 4173		10
योजना 4034 विभागीय मदिरा दुकानों का संचालन		
01—वेतन ,भत्ते आदि	001—वेतन	1100
	003—महंगाई भत्ता	200
	005 आदिवासी क्षेत्र भत्ता	6
	006 मकान किराया भत्ता	40
	014—अन्य भत्ते	50
योग 01 वेतन भत्ते आदि		1396
02 मजदूरी	004 अन्य आकस्मिक मजदूरी	500
04 कार्यालय व्यय	005 बिजली एवं जल प्रभार	1
	008 अन्य आकस्मिक व्यय	1
	013 किराया महसुल और कर	1
योग 04 कार्यालय व्यय		3
10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां		1
25 सामग्री और पूर्तियां	001 भंडार तथा कच्चा माल	1
योग 25 सामग्री और पूर्तियां		1
योग योजना 4034		1901
योजना 122 अधीक्षण (पूंजीगत अनुभाग)		
34 वाहनों का क्रय	001 प्रतिस्थापन	1950
योग योजना 122 (पूंजीगत अनुभाग)		1950
योजना 1470 जिला कार्यपालिक स्थापना (पूंजीगत अनुभाग)		
34 वाहनों का क्रय	001 प्रतिस्थापन	6500
योग योजना 1470 (पूंजीगत अनुभाग)		6500
योजना 122 अधीक्षण		
27 लघु निर्माण कार्य	002 भवन निर्माण	100
योग योजना 122 (अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय)		100
योजना 1470 जिला कार्यपालिक स्थापना		
27 लघु निर्माण कार्य	002 भवन निर्माण	6000
योग योजना 1470 (अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय)		6000

योजना 7849 छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कार्पोरेशन (ऋण एवं अग्रिम)		
6075 विविध सामान्य सेवाओं के लिए उधार	रु 36 ऋण एवं अग्रिम 001 ब्याज रहित	10
	योग योजना 7849	10
	योग मुख्य शीर्ष 2039	1210768

सभी जिलों को आबंटित बजट नान—प्लान बजट होता है। जिलों के द्वारा प्रत्येक माह बजट आबंटन के अध्यधीन व्यय की गई राशि के लिए आहरण एवं व्यय का मासिक पत्रक भेजा जाता है, जिसमें आबंटित बजट के विरुद्ध कितना व्यय किया गया एवं कितना बजट शेष है, की जानकारी दी जाती है।

(xii) (The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes) :-

आबकारी विभाग में प्रभावशील नहीं है।

(xiii) (Particulars of recipients of concessions, permits or authorisations granted by it) :-

विभाग द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को छूट नहीं दी गई है। कुछ जाति विशेष या व्यक्ति समूह को दी गई छूट की जानकारी निम्नानुसार है :—

अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण के अध्यधीन रहते हुए, आसवन द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण कर सकेंगे, अर्थात् :—

- (i) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण केवल घरेलू उपयोग तथा सामाजिक और धार्मिक समाराहों के प्रयोजनों के लिए ही किया जायेगा।
- (ii) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जायेगा।
- (iii) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा को कब्जे में रखने के प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा किसी—भी समय 5 लीटर होगी।

(xiv) सूचना का रख—रखाव (Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form) :-

आबकारी आयुक्त कार्यालय की बेवसाईट excise.cg.nic.in है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान—केन्द्र, रायपुर के द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं विभागीय क्रियाकलापों की जानकारी अथवा सूचना इन्टरनेट पर उपलब्ध है।

(xv) नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु सुविधाओं का विवरण (The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use) :-

नागरिकों के लिए विभाग में समस्त जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी के पास उनके कार्यक्षेत्र के अभिलेखों की जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध रहेगी, जो किसी नागरिक द्वारा उपलब्ध कराए जाने की मांग की जाने पर कार्यालयीन समय में अवलोकन की सुविधा दी जायेगी और उसकी प्रति चाही जाने पर अथवा अन्य कोई जानकारी, जो उन्हें जनहित

को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध कराई जा सकती है, की मांग करने पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर निर्धारित समय—सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जायेगी।

(xvi) जन सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण (The names, designations and other particulars of the Public Information Officers) :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप—धारा (1) के अन्तर्गत आबकारी विभाग के मुख्यालय स्तर, संभागीय स्तर एवं जिला स्तर पर निम्नांकित सारणी में दर्शित अनुसार अधिकारियों को जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है :—

सारणी

क्र.	क्षेत्र	जन सूचना अधिकारी	सहायक जन सूचना अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1.	2.	3.	4.	5.
1.	राज्य स्तर (State Level)	उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय अथवा सहायक आयुक्त आबकारी, मुख्यालय	अपर आयुक्त आबकारी द्वारा नामांकित अधिकारी	अपर आयुक्त आबकारी, मुख्यालय
2.	संभाग स्तर (Division Level)	संबंधित संभाग के मुख्यालय में पदस्थ सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी, संभागीय उड़नदस्ता	संभाग के मुख्यालय में पदस्थ सहायक आयुक्त आबकारी अथवा उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता द्वारा नामांकित अधिकारी	संभाग के उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता
3.	जिला स्तर (District Level)	जिले के उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी	संबंधित जिले के मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ सहायक जिला आबकारी अधिकारी	संभाग के उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता
4.	अनुविभाग स्तर (Sub-Divisional Level)	अनुविभाग मुख्यालय पर पदस्थ प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी / आबकारी उप—निरीक्षक	जिले के उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी द्वारा नामांकित अधिकारी	संबंधित जिले के उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी

नागरिकों के द्वारा अनुविभाग स्तर पर कार्यालय वृत्त आबकारी उप—निरीक्षक / सहायक जिला आबकारी, जिला स्तर पर कार्यालय उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी एवं राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष के कार्यालय में उपायुक्त आबकारी से अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय अर्थात् प्रातः 10.00 बजे से संध्या 5.00 बजे के बीच सूचनायें प्राप्त की जा सकती हैं।

(xvii) अन्य विवरण (Such other information, as may be prescribed) :-**आबकारी विभाग की आय (समस्त मदों से)**

(आय करोड़ रुपये में)

क्रमांक	वर्ष	शीर्ष 0039—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत आबकारी आय
1	2017–18	4054.21
2	2018–19	4491.35
3	2019–20	4952.79
4	2020–21 (माह अक्टूबर, 2020 तक)	403.06

मादक द्रव्यों की खपत

(आकड़े लाख में)

क्रमांक	वर्ष	देशी मदिरा (प्रूफ लीटर में)	विदेशी मदिरा	
			स्प्रिट (प्रूफ लीटर में)	माल्ट (बल्क लीटर में)
1	2017–18	597.49	242.60	152.20
2	2018–19	656.69	286.54	201.68
3	2019–20	548.48	340.00	212.27
4	2020–21 (माह अक्टूबर, 2020 तक)	167.92	119.96	75.27

देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की संख्या

क्रमांक	वर्ष	देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	कुलयोग
1	2017–18	376	317	693
2	2018–19	377	326	703
3	2019–20	337	313	650
4	2020–21	337	320	657

सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय के ठेकों में स्वीकृत प्रदाय दर

क्र.	प्रदाय क्षेत्र का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए स्वीकृत प्रदाय दर सी.व्ही.डी. जोड़कर (कांच बोतल में) (प्रति पेटी रुपयों में)	
		मसाला	प्लेन
1	रायपुर	950.00	840.50
2	दुर्ग	950.00	840.50
3	बैमेतरा	950.00	840.50
4	बस्तर	950.00	840.50
5	बिलासपुर	950.00	840.50
6	कोरबा	950.00	840.50
7	जांजगीर–चांपा	950.00	840.50
8	रायगढ़	950.00	840.50

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित विभिन्न मादक द्रव्यों/पदार्थों के लिए निर्धारित ड्यूटी दर,
आयात/निर्यात फीस की जानकारी

(1) देशी/विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) की ड्यूटी दरें :-

(क) प्रदेश में वर्ष 2020-21 के लिए देशी/विदेशी मदिरा के प्रदाय हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) की ड्यूटी दरें निम्नानुसार रहेगी :—

क्रं.	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2020-21 के लिये निर्धारित ड्यूटी दर
1.	देशी मदिरा :- मसाला — 25.0 UP प्लेन — 50.0 UP	रुपये 320/- प्रति प्रूफ लीटर
2.	विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2020-21 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) निम्नानुसार होगी :—	
	1. रुपये 950/- तक	रुपये 350/- प्रति प्रूफ लीटर
	2. रुपये 951/- से 1250/- तक	रुपये 550/- प्रति प्रूफ लीटर
	3. रुपये 1251/- से 1850/- तक	रुपये 660/- प्रति प्रूफ लीटर
	4. रुपये 1851/- से 2400/- तक	रुपये 800/- प्रति प्रूफ लीटर
	5. रुपये 2401/- से 3500/- तक	रुपये 900/- प्रति प्रूफ लीटर
	6. रुपये 3501/- से 4500/- तक	रुपये 950/- प्रति प्रूफ लीटर
	7. रुपये 4501/- से 6500/- तक	रुपये 1000/- प्रति प्रूफ लीटर
	8. रुपये 6501/- से 8500/- तक	रुपये 1050/- प्रति प्रूफ लीटर
	9. रुपये 8501/- से 11,000/- तक	रुपये 1100/- प्रति प्रूफ लीटर
	10. रुपये 11,001/- और उससे अधिक	रुपये 1150/- प्रति प्रूफ लीटर
3.	बीयर (माल्ट) मदिरा:- प्रति बल्क लीटर भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) (1) रुपये 75/-—प्रति ब.ली. तक (2) रुपये 76/- से 100/- प्रति ब.ली. तक (3) रुपये 101/- प्रति ब.ली. एवं उससे अधिक	ड्यूटी दर (1) रुपये 90/- प्रति ब.ली. (2) रुपये 100/- प्रति ब.ली. (3) रुपये 150/-प्रति ब.ली.
4.	सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनके संस्थाओं/कलबों के लिये :—	
	(क) विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	रुपये 30/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ख) बीयर (माल्ट मदिरा)	रुपये 8/- प्रति बल्क लीटर

स्पष्टीकरण :- 1. विदेशी मदिरा (स्प्रिट) में सम्मिलित है, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वाईन, लिकर्स, कार्डियल्स, बिटर्स, मिक्चर्स तथा अन्य विनिर्मितियाँ, जो स्प्रिटिट युक्त हों।
2. माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साईडर इत्यादि ।

(ख) आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क (ड्यूटी) पर 10% अधिभार :—

आबकारी शुल्क (ड्यूटी) योग्य वस्तुओं के विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10% अधिभार देय होगा, जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के अनुपात में दिया जावेगा। आबकारी शुल्क के साथ ही अधिभार की राशि जमा कराई जावेगी।

(ग) देशी / विदेशी मदिरा (न्यूनतम ड्यूटी दर) के फुटकर विक्रय पर प्रति नग पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क :—

वर्ष 2020–21 के लिये राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गौठान के विकास तथा रख–रखाव के लिए देशी तथा विदेशी मदिरा (न्यूनतम ड्यूटी दर) के फुटकर विक्रय पर प्रति नग 5/- की दर से “अतिरिक्त आबकारी शुल्क” अधिरोपित किया गया है।

उपरोक्त “अतिरिक्त आबकारी शुल्क” की राशि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शासकीय कोष में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

विशेष आबकारी शुल्क :— राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2020–21 में ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के फैलाव के विरुद्ध अधोसंरचना के उन्नयन के लिये राशि की आवश्यकता की पूर्ति हेतु देशी मदिरा के फुटकर विक्रय दर पर प्रति रूपये 10/- की दर से “विशेष आबकारी शुल्क” अधिरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

विशेष कोरोना शुल्क :— राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2020–21 में कोरोना (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक राशि की प्रतिपूर्ति हेतु विदेशी मदिरा (स्पिट / माल्ट) के फुटकर विक्रय दर पर 10 प्रतिशत की दर से “विशेष कोरोना शुल्क” अधिरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(2) भांग की ड्यूटी दरें :—

क्रमांक	आबकारी शुल्क योग्य वस्तु	वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित ड्यूटी दर/वृक्ष शुल्क की दर	
		1	2
1.	भांग (भाण्डागार से प्रदाय लेने पर) :—		
	(क) वर्ष 2020–21 के लिए नीलाम की गई भांग / भांगधांटा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदाय लिये जाने पर		रुपये 100/- प्रति कि.ग्रा.
	(ख) खण्ड (क) में वर्णित अनुज्ञप्तिधारियों के अतिरिक्त अन्य उपयोगकर्ता जैसे— औषधि निर्माताओं के लिए		रुपये 300/- प्रति कि.ग्रा.

(3) मादक द्रव्यों पर प्रचलित आयात फीस, निर्यात फीस, परमिट फीस का विवरण

मद	वर्ष 2020–21 के लिये फीस की दर
(i). आयात फीस :-	
1. देशी मदिरा	रु. 6.00 प्रति प्रूफ लीटर
2. विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	रु. 40.00 प्रति प्रूफ लीटर
3. माल्ट मदिरा (बीयर)	रु. 12.00 प्रति बल्क लीटर
4. रेकिटफाईड स्प्रिट (देशी मदिरा विनिर्माण हेतु)	रु. 1.00 प्रति बल्क लीटर
5. एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (विदेशी मदिरा विनिर्माण हेतु)	रु. 1.00 प्रति बल्क लीटर
(ii). निर्यात फीस :-	
1. देशी मदिरा	रु. 0.30 प्रति प्रूफ लीटर
2. विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	रु. 1.00 प्रति प्रूफ लीटर
3. माल्ट मदिरा (बीयर)	रु. 0.50 प्रति बल्क लीटर
4. एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (विदेशी मदिरा विनिर्माण हेतु)	रु. 3.00 प्रति बल्क लीटर
5. रेकिटफाईड स्प्रिट	रु. 1.00 प्रति बल्क लीटर
(iii). परमिट फीस :-	
1. विदेशी मदिरा	रु. 1500.00 प्रति अनुज्ञा पत्र
2. रेकिटफाईड स्प्रिट	रु. 1500.00 प्रति अनुज्ञा पत्र
3. एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल	रु. 1500.00 प्रति अनुज्ञा पत्र
(iv) बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 लायसेंस के अन्तर्गत :- (स्प्रिट मदिरा हेतु)	रु. 6.00 प्रति प्रूफ लीटर
बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 लायसेंस के अन्तर्गत :- (माल्ट मदिरा हेतु)	रु. 1.00 प्रति बल्क लीटर
बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 लायसेंस के अन्तर्गत :- (माल्ट मदिरा निर्यात हेतु)	रु. 0.50 प्रति बल्क लीटर
(v) बॉटलिंग फीस एफ.एल.9क लायसेंस फ्रैन्चाईजी के अन्तर्गत :-	
(1) विदेशी मदिरा (स्प्रिट) हेतु :-	
(क) छत्तीसगढ़ में ही विक्रित होने वाले प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु :-	रु. 30.00 प्रति प्रूफ लीटर

(ख)	प्रदेश के बाहर निर्यात होने वाले प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु :—	रु. 2.00 प्रति प्रूफ लीटर
(2) विदेशी मदिरा (माल्ट) हेतु :—		
(क)	छत्तीसगढ़ में ही विक्रित होने वाले प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु :—	रु. 5.00 प्रति बल्क लीटर
(ख)	प्रदेश के बाहर निर्यात होने वाले प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु :—	रु. 0.50 प्रति बल्क लीटर

(4) विभिन्न लायसेंस के लिए निर्धारित लायसेंस फीस का विवरण

क्र.	विवरण	फीस का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस
1.	2.	3.	4.
1.	डी.-1 आसवनी अनुज्ञाप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 20,00,000
2.	सी.एस.1-ख देशी मदिरा विनिर्माण अनुज्ञाप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 3,00,000
3.	सी.एस.1 सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय अनुज्ञाप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 2,25,000
4.	विदेशी मदिरा एफ.एल.2 रेस्टारेन्ट बार अनुज्ञाप्ति	लायसेंस फीस जनसंख्या 1.00 लाख तक जनसंख्या 1.00 लाख से 3.00 लाख तक जनसंख्या 3.00 लाख से अधिक	रुपये 5,40,000 रुपये 7,70,000 रुपये 10,20,000
5.	विदेशी मदिरा एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञाप्ति (टीप:- नगर की सीमा से 10 कि.मी. परिधि में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट के लिए अनुज्ञाप्ति फीस वही होगी, जो उस नगर के लिए लागू हो.)	लायसेंस फीस जनसंख्या 1.00 लाख तक जनसंख्या 1.00 लाख से 3.00 लाख तक जनसंख्या 3.00 लाख से अधिक	रुपये 12,60,000 रुपये 18,00,000 रुपये 24,00,000
6.	विदेशी मदिरा एफ.एल.3 क अनुज्ञाप्ति (शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञाप्ति) (टीप:- नगर की सीमा से 10 कि.मी. परिधि के शॉपिंग माल में स्थित एफ.एल. 3क लायसेंस की लायसेंस फीस भी उपरोक्तानुसार होगी)	लायसेंस फीस जनसंख्या 1.00 लाख तक जनसंख्या 1.00 लाख से 3.00 लाख तक जनसंख्या 3.00 लाख से अधिक	रुपये 18,00,000 रुपये 24,00,000 रुपये 31,20,000
7.	विदेशी मदिरा एफ.एल.4 असैनिक विनोद गृह अनुज्ञाप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 1,00,000

8.	विदेशी मदिरा एफ.एल.4क व्यावसायिक क्लब अनुज्ञाप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 7,50,000
		जनसंख्या 1.00 लाख तक	
		जनसंख्या 1.00 लाख से 3.00 लाख तक	रुपये 11,25,000
		जनसंख्या 3.00 लाख से अधिक	रुपये 15,00,000
9.	विदेशी मदिरा एफ.एल.5 प्रासंगिक अनुज्ञाप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 20,000 प्रतिदिन
10.	विदेशी मदिरा एफ.एल.5क प्रासंगिक अनुज्ञाप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,000 प्रतिदिन
11.	विदेशी मदिरा एफ.एल.6 सैनिक केन्टीन थोक अनुज्ञाप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,000
12.	विदेशी मदिरा एफ.एल.7 सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञाप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 1,000
13.	विदेशी मदिरा एफ.एल.8 सैनिक विनोद-गृह (क्लब) अनुज्ञाप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 1,000
14.	एफ.एल.9 बोतल भराई अनुज्ञाप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,00,000
15.	एफ.एल.9क विशेष बोतल भराई अनुज्ञाप्ति (प्रति फ्रैन्चाईज़सी के अन्तर्गत)	लायसेंस फीस	रुपये 5,00,000
16.	विदेशी मदिरा एफ.एल.10 विनिर्माणकर्ता की वितरण अनुज्ञाप्ति (प्रति अनुज्ञाप्ति)	लायसेंस फीस	रुपये 5,00,000
17	लेबल रजिस्ट्रेशन फीस	रजिस्ट्रेशन फीस	रुपये 3,00,000 प्रति लेबल

(5) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित आसवनी एवं विदेशी मदिरा बॉटलिंग तथा बीयर इकाईयों की सूची

क्रमांक	लायसेंस का प्रकार	नाम लायसेंसी	अनुज्ञाप्ति स्थल
1.	डी-1 एवं एफ.एल.9	मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, ग्राम-खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग	खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग
2.	डी-1 एवं एफ.एल.9	मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्रा.लि., छेरकाबांधा, जिला-बिलासपुर	छेरकाबांधा, जिला-बिलासपुर
3.	डी-1 एवं एफ.एल. 9 / 9क	मेसर्स भाटिया वाईन मर्चन्ट्स प्रा.लि., ग्राम-धूमा, तहसील-मुंगेली, जिला-मुंगेली	ग्राम-धूमा, जिला-मुंगेली
4.	एफ.एल.9 / 9क	मेसर्स गोल्डन प्रिन्स वाईन्स इण्डिया प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर	सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर

5.	एफ.एल.9	मेसर्स एजिस बेवरेजेस प्रा.लि. औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी, जिला—बिलासपुर	सिरगिट्टी, जिला—बिलासपुर
6.	एफ.एल.9	मेसर्स लीजेण्ड डिस्टिलरीज प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी, जिला—बिलासपुर	सिरगिट्टी, जिला—बिलासपुर
7.	एफ.एल.9 / 9क	मेसर्स रायपुर बॉटलिंग कम्पनी, बहनाकाड़ी, मंदिरहसौद, जिला—रायपुर	बहनाकाड़ी, जिला—रायपुर
8.	एफ.एल.9	मेसर्स क्राउन डिस्टिलरीज प्रा. लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, जिला—रायपुर	सिलतरा, जिला—रायपुर
9.	एफ.एल.9	मेसर्स एन.व्ही डिस्ट. एण्ड बेव. प्रा.लि. सबलीजी सर्वेश्वरी बॉटलिंग एण्ड बेवरेज प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, जिला—रायपुर	सिलतरा, जिला—रायपुर
10	एफ.एल.9 / 9क	मेसर्स सोना ब्रेवरेजेस प्रा. लिमि. इण्ड्रस्ट्रीयल एरिया बोर्ड, जिला—दुर्ग	बोर्ड, जिला—रायपुर
11	एफ.एल.9	मेसर्स स्कॉटमेन एल्को बेव फिलर्स प्रा. लिमिटेड, ग्राम—खपरी, कुम्हारी, जिला—दुर्ग	खपरी, कुम्हारी, जिला—दुर्ग
12	एफ.एल.9	मेसर्स कान्टिनेन्टल डिस्टिलरीज प्रा. लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, जिला—रायपुर	सिलतरा, जिला—रायपुर
13	डब्ल्यू 3	मेसर्स स्वाती आर्कनि प्रा.लि., ग्राम कसेकरा, तहसील—साजा, जिला—बेमेतरा	कसेकरा, जिला—बेमेतरा

(6) छत्तीसगढ़ राज्य में फ्रैन्चाईज़ी व्यवस्था के अन्तर्गत विशेष बोतल भराई की

क्रमांक	लायसेंस का प्रकार	नाम लायसेंसी	किस विनिर्माता कम्पनी से अनुबन्ध है	स्थान
1.	एफ.एल. 9क	मेसर्स भाटिया वाईन मर्चन्ट्स प्रा.लि., ग्राम—धूमा, तहसील—मुंगेली, जिला—मुंगेली	1. मेसर्स परनॉड रिकार्ड इण्डिया (प्रा.) लिमि. गुडगांव, 2. मेसर्स रेडिको खेतान लिमिटेड, नई दिल्ली 3. मेसर्स हर्मस डिस्ट. प्रा.लि. बेलगामी, कर्नाटक	ग्राम—धूमा जिला—मुंगेली
2.	एफ.एल. 9क	मेसर्स गोल्डन प्रिन्स वाईन्स इण्डिया प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, बिलासपुर	1. मेसर्स एलाईड ब्लैण्डर्स एण्ड डिस्टिलर्स प्रा.लि., मुम्बई 2. मेसर्स जगतजीत इण्ड. लिमि. कपुरथला पंजाब	सिरगिट्टी जिला बिलासपुर
3.	एफ.एल. 9क	मेसर्स रायपुर बॉटलिंग कम्पनी, बहनाकाड़ी,, मंदिरहसौद, जिला—रायपुर	मेसर्स यूनाईटेड स्प्रिट्स लिमिटेड, बैंगलौर	बहनाकाड़ी, जिला—रायपुर

4.	एफ.एल. 9क (माल्ट मदिरा हेतु)	मेसर्स सोना ब्रेवरेजेस प्रा. लिमि. इण्डस्टीयल एरिया बोरई, जिला—दुर्ग	1. मेसर्स काल्सबर्ग इंडिया प्रा. लि. हरियाणा 2. मेसर्स जूनून ब्रेवरेजेस, एम. पी.नगर. भोपाल (म.प्र.) 3. मेसर्स सुफल स्प्रिट, कलकाजी, नई दिल्ली	बोरई, जिला—दुर्ग
----	---------------------------------	---	--	---------------------

छत्तीसगढ़ राज्य में देशी मदिरा के सीलबंद बोतलों में प्रदाय करने के
लिए स्वीकृत प्रदाय क्षेत्रों की सूची

क्र .	लायसेंस का प्रकार	नाम लायसेंसी	आसवनी का स्थान	वर्ष 2020–21 के लिए स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र का नाम	प्रदाय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिलों का नाम
1.	सी.एस.1	मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, ग्राम—खपरी, कुम्हारी, जिला—दुर्ग	खपरी, कुम्हारी, जिला—दुर्ग (छत्तीसगढ़)	1 रायपुर	1 रायपुर
				2 दुर्ग	2 महासमुंद्र
				1 दुर्ग	1 दुर्ग
				2 बालोद	2 बालोद
				3 राजनांदगांव	3 राजनांदगांव
2.	सी.एस.1	मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्रा.लि., छेरकाबांधा, बिलासपुर	छेरकाबांधा, जिला—बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	3 बेमेतरा	1 बेमेतरा
				2 मुंगेली	2 मुंगेली
				4 बिलासपुर	1 बिलासपुर
				2 कबीरधाम	2 कबीरधाम
				3 गरियाबंद	3 गरियाबंद
3.	सी.एस.1	मेसर्स भाटिया वाईन मर्चन्ट्स प्रा.लि., धूमा, जिला—मुंगेली	धूमा, जिला—मुंगेली (छत्तीसगढ़)	5 बस्तर	1 जगदलपुर
				2 नारायणपुर	2 नारायणपुर
				3 कोण्डागांव	3 कोण्डागांव
				4 उ.ब.काँकेर	4 उ.ब.काँकेर
				5 द.ब.दन्तेवाड़ा	5 द.ब.दन्तेवाड़ा
				6 बीजापुर	6 बीजापुर
				7 सुकमा	7 सुकमा
				8 धमतरी	8 धमतरी
				6 कोरबा	1 कोरबा
				2 बलौदाबाजार—भाटापारा	2 बलौदाबाजार—भाटापारा
				7 जांजगीर—चॉपा	1 जांजगीर—चॉपा
				2 सरगुजा	2 सरगुजा
				3 सूरजपुर	3 सूरजपुर
				4 सूरजपुर	4 सूरजपुर
				5 कोरिया	5 कोरिया
				8 रायगढ़	1 रायगढ़
				2 जशपुर	2 जशपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में आसवनी परिसर स्थित देशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयों की सूची

क्रमांक	लायसेंस का प्रकार	नाम लायसेंसी	स्थान
1	सी.एस.1ख	मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, ग्राम—खपरी, कुम्हारी, जिला—दुर्ग	ग्राम—खपरी, कुम्हारी, जिला—दुर्ग
2	सी.एस.1ख	मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्रा.लि., छेरकाबांधा, जिला—बिलासपुर	ग्राम—छेरकाबांधा, जिला—बिलासपुर
3	सी.एस.1ख	मेसर्स भाटिया वार्डन मर्चन्ट्स प्रा.लि., ग्राम—धूमा, जिला—मुंगेली	ग्राम—धूमा, जिला—मुंगेली

जनसूचना अधिकारी एवं,
उपायुक्त आबकारी,
मुख्यालय, रायपुर